रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2014/आश्विन 24, 1936
No. 247] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2014/ASVINA 24, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2014

निर्णायक समीक्षा

विषय:- चीन जन.गण. और चाइनीज ताइपेई के केबल टाईज के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा जांच – अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 15/20/2013-डीजीएडी- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यत:, चीन जन.गण. और चाइनीज ताइपेई (जिन्हें एतद्पश्चात सम्बयद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित केबल टाइज (जिसे एतद्पश्चारत सम्बद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की मूलत: शुरूआत 01 जनवरी, 2008 की गई थी। संबद्ध देशों से इस उत्पाद के आयातों पर प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2008 को अधिसूचना संख्या 14/10/2007-डीजीएडी के तहत जारी प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 118/2008-सीमाशुल्क के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 31 मार्च, 2009 की अधिसूचना के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किया गया और राजस्व विभाग ने उपर्युक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या 44/2009-सीशु के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

2. और यत:, समीक्षा जांच के उपबंधों के निबंधनों के अनुरूप प्राधिकारी को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स स्योरलाक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से एक साक्ष्यांकित आवेदनपत्र संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की जरूरत की समीक्षा करने के लिए प्राप्त हुआ और उन्होंने संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क में संवृद्धि करने/परिवर्तन करने का अनुरोध किया है।

3. और यत:, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में एक मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच दिनांक 04 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/10/2001-डीजीएडी तहत प्रारंभ की थी और प्राधिकारी ने दिनांक 03 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/10/2011-डीजीएडी के तहत, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संशोधित स्वरूप की सिफारिश की थी। प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सरकार ने दोनों संबद्ध देशों के आयात पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 56/2012-सीशु के तहत अधिरोपित किया था।

4. और यत:, घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में सतत शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता की जरूरत की समीक्षा करने ओर यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को पाठन क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केंद्रीय सरकार की दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 28/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत 30 अक्तूबर, 2014 तक बढ़ा दी थी।

5. और यत:, वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर विगत जांच सभी पहलू शामिल होंगे।

ख. प्रक्रिया

6. संबद्ध जांच के संबंध में अधोलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

(क) प्राधिकारी ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2013 को जांच शुरूआत का एक नोटिस जारी किया जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड-1 में उसी दिन प्रकाशित किया गया। प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की।

(ख) इस जांच शुरूआत के नोटिस के बारे में नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूतावास और चाइनीज ताइपेई के सांस्कृतिक केंद्र को इस अनुरोध के साथ सूचना प्रेषित की गई कि वे अपने देश में निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दें।

(ग) प्राधिकारी ने पूर्व नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार चीन के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास तथा चाइनीज ताइपेई के सांस्कृतिक केंद्र को तथा ज्ञात निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान कराई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई तथा हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई।

(घ) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देशों से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर दिया गया :

कंपनी का नाम	देश
हुआ बेई इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (जाइन्टलोक	चीन जन.गण.
(यूइक्विंग) गौलिन (हाक्सिन) इलेक्ट्रिक एपेटेट्स फैक्टरी	चीन जन.गण.
पावर इंडस्ट्री पार्ट बुक इंटरप्राइजेज	चीन जन.गण.
को-टैलेन्ट एन लिमिटेड (सीटीएनएल)	चीन जन.गण.

कायगो प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	चीन जन.गण.
झेजियांग गिउजिंग मीटर्स कंपनी लिमिटेड	चीन जन.गण.
युगिना क्विलिगांग प्लास्टिक्स मैन्यूफैचरिंग कंपनी लिमिटेड	चीन जन.गण.
यूइक्विंग जिन्जिंग केबल एसोसरीज कंपनी लिमिटेड	चीन जन.गण.
वेन्झोऊ यांग्जीइलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स	चीन जन.गण.
वी वाई केबल्स एसेसरीज कंपनी लिमिटेड	चाइनीज पाइपेई
कई सुह सुह इंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड	चाइनीज पाइपेई
ग्यान्तलोक, ताइचुंग	चाइनीज पाइपेई
एवीसी काओशिअंग सिटी	चाइनीज पाइपेई

(ङ) सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा चीन के राजदूतावास को एक बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा (एमईटी) प्रश्नावली भी इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान कराए। जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, विधिवत समायोजित के आधार पर विचार किया गया और प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया कि उनका प्रस्ताव पाटनरोधी नियमावली, यथासंशोधित के अनुबंध-1 के पैरा 7 एवं पैरा 8 के आलोक में आवेदक के दावे की जांच करना है। अत:, चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों से पैरा 8 के उप-पैरा में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिससे कि प्राधिकारी यह विचार कर सकें कि क्या चीन जन.गण. के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं।

(च) चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के (निर्यातक) मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड और (उत्पादक) मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स ने विहित स्वरूप और ढंग से प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया। संबद्ध देशों के किसी भी अन्य निर्यातक ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

(छ) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे)। को प्रेषित की और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अनुरोध किया :

कंपनी का नाम
कृष्णा इलेक्ट्रानिक्स, कोलकाता
आनंदी इंटरनेशनल, कोलकाता
मल्टी इम्पेक्स, चैन्नई
पी.एस. इंटरप्रइजेज, कोलकाता
सुमित चंद ब्रदर्श कोलकाता
वायर एंड केवल कारपोरेशन, नई दिल्ली
चौधरी इंटरनेशनल, दिल्ली
बी बी कारपोरेशना, चेन्नई
हीरावत मार्केटिंग सर्विसेस, कोलकाता
जितेन्द्र कुमार मोदी, कोलकाता
शाह इंटरप्राइजेज, मुंबई
कृष्णा कार्मिशयल कारपोरेशन, चेन्नई

प्रणव इलेक्ट्रिकल्स बड़ोदरा
मोदी इंडस्ट्रियल इंटरफेस, बंगलौर

(ज) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई भी प्रत्युत्तर/ प्रस्तुतिकरण दायर नहीं किया।

(झ) इस जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों को भी प्रेषित की गई।

ब्लैकबर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
नोवाफ्लेक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
फ्लु-कान इंटर प्राइजेज, मुंबई

(ञ) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (पीओआई) है। तथापि, क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2009 – मार्च, 2010, अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012 तथा जांच की अवधि को भी शामिल किया गया है।

(ट) घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण करने के लिए गौण स्रोत अर्थात इम्पेक्स पर भरोसा किया है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात के सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त रिकार्डों के आधार पर आयातों की मात्रा एवं मूल्य का सुनिश्चयन किया गया। चूंकि जांच की अवधि के दौरान इम्पेक्स के अनुसार संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में रिपोर्ट की गई मात्रा से अधिक पाई गई इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में इम्पेक्स स्रोत से प्राप्त आंकडों पर भरोसा किया है।

(ठ) उन निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जिन्होंने प्राधिकारी को न तो प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत कोई सूचना प्रस्तुत की, उन्हें असहयोगकर्ता हितबद्ध प्रस्तुत पक्षकार के रूप में माना गया।

(ड) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में खुली रखी।

(ढ) प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और गैर क्षतिकारी कीमत को निर्धारण करने के लिए अनुबंध-3 में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर यथासंभव सीमा तक जांच की जिससे कि यह सुनिश्चयन किया जा सके कि पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ण) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई, 2014 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। इसमें निम्नलिखित पक्षकारों ने भाग लिया।

- घरेलू उद्योग
- चान्गहांग प्लास्टिक्स (चीन का उत्पादक एवं निर्यातक) का प्रतिनिधि
- गायन्टलोक इंडिया (आयातक) का प्रतिनिधि

मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जायन्टलोक इंडिया से विचाराधीन उत्पाद के भारत में उनके द्वारा किए गए आयातों और जायन्टलोक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में सूचना निर्धारित स्वरूप और ढंग प्रदान करने का प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया। तथापि, जायन्टलोक द्वारा कोई भी सूचना प्रदान नहीं कराई गई।

(त) जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए दिया गया है।

(थ) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों का यथासंभव मानी गई सीमा तक सत्यापन किया गया।

(द) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा सका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां तक संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दर्ज की गई सूचना पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर भी प्रदान कराए।

(ध) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचनात्मक पहुंच की मनाही कर दी है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराई है अथवा इस जांच में भारी अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने अपने जांच परिणाम "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर दर्ज किए है और इन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना गया है।

(न) इस अंतिम जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों के अंतर्गत उसे वैसा ही माना गया है।

प. पूर्वोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए आवश्यक समझे गए तथ्यों/आधार को दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को जारी प्रकटन विवरण के तहत सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को खुलासा कर दिए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा इस अन्तिम जांच परिणाम में संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया।

फ. जांच की अवधि के के दौरान विनिमय दर 1 यूएस डलार = 54.65/रुपए है।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

7. मूल जांच, मध्यावधि समीक्षा जांच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद "केबल टाईज" है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा वर्तमान समीक्षा में भी वही रहेगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया गया है :

"वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद केबल टाईज है। केबल टाईज में इंटीग्रेटेड गीयर रैक युक्त एक मजबूत नायलान टेप होता है और इसके एक ओर छोटे से मुक्त केस में एक रैचेट होता है। यह केबल/वायर बंचिंग प्रणाली का एवं किफायती एवं विविधतापूर्ण तरीका है। केबल टाईज को कई नामों से जाना जाता है जैसे नॉन-रिलीजेबल अथवा रिलीजेबल (पुनर्प्रयोगयोग्य) टैग्स, स्ट्रैप्स, जिप टाईज, टाई रैप, रैट बेल्ट आदि और इसका उत्पादन एवं इसकी बिक्री उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार विभिन्न आकारों में किया जाता है। केबल टाईज मोल्डेड मैकेनिज्म का एक नग होता है जिसमें कोई मेटल बार्ब या दुरूह वैज नहीं होता है तथा इसमें बांधने एवं सेल्फ लाकिंग की डिवायस होती है। एक बार जब नॉन रिलीजेबल केबल टाईज को खींचा जाता है तो इसे वापस नहीं खींचा जा सकता है ओर इससे खीचक अधिक टाइट ही किया जा सकता है। केबल टाईज सामान्यत: एक बार में प्रयोग होने वाली डिवायस है। तथापि, उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार पुनर्प्रयोग योग्य केबल टाईज का उत्पादन भी किया जाता है।"

ग.1 आयातकों, उत्पादकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी भी उत्पादक, निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई विचार व्यक्त नहीं किए है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद केबल टाईज है। केबल टाईज के सामान्यत: एकल प्रयोग डिवायस के रूप में माना जाता है। तथापि, यदि बंद लूप को जब दुबारा खोलने की जरूरत पड़ती है तो दुबारा प्रयोग न करके उसे काटकर नष्ट कर दिया जाता है, यह संभव है कि रैचेट को रिलीज कर दिया जाए जिससे उस केबल टाईज का पुनर्प्रयोग कर दिया जाए। यद्यपि कुछ केबल टाईज को एक ऐसी टेबल लगाकर उत्पादित किया जाता है जिससे रैचोट को रिलीज करके केबल टाईज का पुनर्प्रयोग किया जा सकता है, अधिकांश मामलों में सिलाई सुई या उसी की तरह की कोई वस्तु (उदाहरणार्थ एक छोटा पेंचकश) को रैचेट एवं रैक के बीच लगाई जाती है। इस विचाराधीन उत्पाद का डिपार्टमेंटल स्टोर्स में प्लास्टिक बैग्स को बांधने के लिए भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। केबल टाईज को विभिन्न लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में उत्पादित किया जाता है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तथापि इन्हें सामान्यत: नॉन-रिलीजेबल (पुनर्प्रयोगयोग्य) टैग टाइप, डबल लाक टाइप आदि के नाम से भी जाना जाता है। केबल टाईज को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्यापय 39 के उपशीर्षक संख्या 39269010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद केबल टाईज है। केबल टाईज में इंटीग्रेटेड गीयर रैक युक्त एक मजबूत नायलान टेप होता है और इसके एक ओर छोटे से मुक्त केस में एक रैचेट होता है। यह केबल/वायर बंचिंग प्रणाली का एवं किफायती एवं विविधतापूर्ण तरीका है। केबल टाईज को कई नामों से जाना जाता है जैसे नॉन-रिलीजेबल अथवा रिलीजेबल (पुनर्प्रयोगयोग्य) टैग्स, स्ट्रैप्स, जिप टाईज, टाई रैप, रैट बेल्ट आदि और इसका उत्पादन एवं इसकी बिक्री उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार विभिन्न आकारों में किया जाता है। केबल टाईज मोल्डेड मैकेनिज्म का एक नग होता है जिसमें कोई मेटल बार्ब या दुरूह वैज नहीं होता है तथा इसमें बांधने एवं सेल्फ लाकिंग की डिवायस होती है। एक बार जब नॉन रिलीजेबल केबल टाईज को खींचा जाता है तो इसे वापस नहीं खींचा जा सकता है ओर इससे खीचक अधिक टाइट ही किया जा सकता है। केबल टाईज सामान्यत: एक बार में प्रयोग होने वाली डिवायस है। तथापि, उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार पुनर्प्रयोग योग्य केबल टाईज का उत्पादन भी किया जाता है। केबल टाईज को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्यापय 39 के उपशीर्षक संख्या 39269010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. केबल टाईज को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्यापय 39 के उपशीर्षक संख्या 39269010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और इसलिए वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय के अंतर्गत समान वस्तु हैं। यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु कतिपय अभिलक्षणों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकीय प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरा के रूप में तुलनीय है। दोनों ही वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनपीय हैं और दोनों के गुणधर्म समरूप हैं। यह दावा किया गया है कि उपभोक्तागण दोनों का प्रयोग अंतर्निमेय रूप से कर सकते हैं।

13. प्रतिवादी निर्यातकों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों तथा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए विगत निर्धारणों के विरोध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु का आशय उस वस्तु से होता है जो जांचाधीन उत्पाद के सभी रूप से समान या समरूप हो अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में उस अन्य वस्तु से होता है जो जांचाधीन वस्तु के निकट से समरूप अभिलक्षण युक्त हो।

15. विधिवत परीक्षण के पश्चात प्राधिकारी यह अधिवचन करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित केबल टाईज के अभिलक्षण संबद्ध देशों से आयातित केबल टाईज के समान हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई जांच में दोनों उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं दर्शाया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित केबल टाईज संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे केबल टाईज में नियमावली के आशय के अंतर्गत पूर्ण समानता है।

घ. घरेलू उद्योग

16. यह याचिका मैसर्स स्योरलाक प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। देश में केबल टाईज के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक है मैसर्स ब्लैकबर्ग एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स नोवोफ्लेक्स मार्केटिंग और मैसर्स फ्लुकान इंटरप्राइजेजों हालांकि मैसर्स ब्लैक बर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रही है; तथापि, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि मैसर्स नोवाफ्लेक्स मार्केटिंग एवं मैसर्स फ्लुकान इंटरप्राइजेज ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है।

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. मैसर्स ब्लैकबर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड देश में इस संबद्ध वस्तु का एकमात्र अन्य ज्ञात उत्पादक है क्योंकि मैसर्स नोवोफ्लेक्स मार्केटिंग एंड मैसर्स फ्लुकान इंटरप्राइजेज ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात बनता है। इसलिए, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

घ.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. याचिकाकर्ता के आधार और उसे घरेलू उद्योग के रूप में मानने के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक या अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है :

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण में समग्र रूप से रत और उससे जुड़ी किसी अन्य गतिविधि में लगे घरेलू उत्पादों या उन उत्पादकों से होता है जिनका उक्त वस्तु का समग्र सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है, सिवाय इसके कि इन उत्पादकों का कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से कोई संबंध हों या स्वयं उनके आयातक न हों, ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" को शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।"*

20. यह समीक्षा जांच पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप मैसर्स स्योरलाक प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर शुरू की गई है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक भी हैं नामत: मैसर्स ब्लैक बर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स नोवोफ्लेक्स मार्केटिंग एंड मैसर्स फ्लुकान इंटरप्राइजेज जबकि मैसर्स नोवोफ्लेक्स मार्केटिंग एंड मैसर्स फ्लुकान इंटरप्राइजेज ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है जैसाकि पूर्व निष्कर्षित मध्यावधि समीक्षा जांच में अधिवचन किया गया है, मैसर्स ब्लैकबर्न कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, याकिकाकर्ता के अलावा इस विचाराधीन उत्पाद का अन्य एकमात्र उत्पादक है।

21. याचिकाकर्ता की वैधनिक स्थिति या दावे का विरोध करते हुए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जांच से यह प्रदर्शित नहीं हुआ है कि याचिकाकर्ता वैधानिक स्थिति की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है या याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग नहीं है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह सिद्ध करती है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात बनता है और

किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने, उनको अवसर दिए जाने के बावजूद संगत सूचना प्रदान नहीं कराई है। अतः, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि याचिकाकर्ता पूर्वोक्त नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

घ.4 अन्य मुद्दे

22. मापन की गई इकाइयों में प्रस्तुत किए जा रहे आयात आंकड़ों और चूंकि उसका संपरिवर्तन संभव नहीं है, के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच अवधि में किए गए अधिकांश सौदे सीमाशुल्क निकासी के लिए भार आधार पर रिपोर्ट किए गए थे और इसलिए इन सौदों में भारत में संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्व में निष्कर्षित मध्यावधि समीक्षा जांचों में अधिकांश आयात सौदे भार आधार पर (मूल्य के लगभग 90 प्रतिशत) रिपोर्ट किए गए थे। इसलिए प्राधिकारी ने सभी देशों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए उसी क्रियापद्धति को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी निर्यातक ने वस्तु का बीजक भार आधार पर बनाया है और उन्होंने भार आधार पर सूचना प्रदान की है।

23. जांच की कार्रवाई के दौरान डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों की जांच की गई और उसका विश्लेषण मूल्य आधार पर किया है। यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिपोर्ट किए गए आयातों का मूल्य इम्पेक्स द्वारा रिपोर्ट किए गए आयातों की तुलना में बहुत कम है।

24. प्रतिवादी निर्यातक के प्रतिनिधियों ने यह दावा किया है कि वर्तमान जांच विरोधकर्ता हितपक्ष पक्षकारों को बिना किसी आयात आंकड़ों की उपलब्धता के आगे बढ़ी है। निर्यातक जागरूक हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आयातों के सौदेवार आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से मंगाए हैं और उन्हीं पर भरोसा किया है। तथापि, यह सूचना अगोपनीयस्वरूप में सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अतिरिक्त, देशवार मात्रा और मूल्य के आंकड़ों का वार्षिक सारांश किसी गोपनीय सूचना का प्रकटन किए बिना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्राधिकारी द्वारा खेपवार आधार पर प्राप्त आयात आंकड़ों का प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि देशवार आयात आंकड़ों की सूचना याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में दी जाती है। प्राधिकारी कई स्रोतों से सूचना मंगाता है। यहां तक कि प्रतिवादी निर्यातक ने भी कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य के संबंध में जानकारी प्रदान कराई है। तथापि, प्राधिकारी निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यातों की मात्रा और कीमत का प्रकटन नहीं करता है। नियम 16 में प्रावधान है कि प्राधिकारी रिकार्ड निर्धारण से पहले विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेगा। इसका स्पष्ट आशय यह है कि प्राधिकारी को ऐसी सूचना का प्रकटन अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन के स्टेज तक नहीं करना चाहिए।

26. प्रतिवादी निर्यातक के प्रतिनिधि ने यह दावा किया है कि निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करना आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि इस मुद्दें के संबंध में इंडियन मेंटल्स एंड फेरो एलायस बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2008(224) ईएलटी 375(डेल)] और कल्याणी स्टील्स लिमिटेड बनाम राजस्व सचिव, एमएफ [2008(224) ईएलटी 47 (डेल)] के मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के समक्ष विधिवत दस्तावेजों से युक्त एक याचिका दायर की गई है और उसी याचिका के आधार पर यह जांच शुरू की गई।

27. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जयन्टलोक क प्रतिनिधियों ने मौखिम सुनवाई में भाग लिया था और प्राधिकारी ने निर्यातक के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से यह निदेश दिया था कि वह निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत सूचना प्रदान कराएं। तथापि, जायन्टलोक ने कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, न ही उन्होंने कोई अन्य प्रस्तुतिकरण ही किया है। यह वास्तव में अजीब बात है कि जायन्टलोक चीन और थाईलैंड में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक होने के बावजूद और जो इसका भारत में भारी मात्रा में निर्यात करता है, उसने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई भी सूचना न देने को अधिमानता दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने कोई भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और न ही उसने कोई

सत्यापन योग्य सूचना प्रदान कराई है। इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी सभी कंपनियों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ असहयोगकर्ता कंपनियों के रूप में माना है।

ड. बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया गया है :

(i) डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों में से किसी ने भी चीन के उत्पादकों को संगत मानदंडों का अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन करने के आधार पर चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है, जिसमें उप-पैराग्राफ 8(3) में विहित मानदंड भी शामिल हैं। चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था की विधिमान्य व्यवस्था को संतुष्ट नहीं किया है।

(ii) संबद्ध देश में उत्पादकों और निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के बावजूद भी पाटित कीमतों पर इस वस्तु का निर्यात जारी रखा है। पाटित आयातों तथा पाटन मार्जिन की मात्रा पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद भी बहुत अधिक है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

29. प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड (इम्पीरियल-उत्पादक और मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड (सीएचएस) – निर्यातक) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है।

(ii) मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड (सीएचएस) – निर्यातक द्वारा परिशिष्ट-2 में यथारिपोर्टित बीजक मूल्य चीन के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथारिपोर्टित वास्तविक बीजक मूल्य है। इसलिए, प्राधिकारी को निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किए गए के अनुसार वास्तविक बीजक मूल्य अपनाना अपेक्षित है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में भारत तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों द्वारा की गई पाटनरोधी जांच में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन.गण. को पाटनरोधी नियमावली के निबंधनों के अनुरूप व्यक्तिगत निर्यातकों या निर्यातक देश द्वारा इस प्रकल्पना के खंडन के अध्यधीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।

31. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करते हैं और इसके विपरीत तथ्यों को स्थापित करते है। चीन जनवादी गणराज्य के संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैरा 8 के उप-पैरा (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जिससे कि प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या :

(क) चीन जन.गण. में कीमत, लागत और कच्चे माल सहित इनपुटों, श्रम एवं प्रौद्योगिकी की लागत, आउटपुट, बिक्री और निवेश के संबंध में संबंधित फर्मों का निर्णय बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए गए हैं जिनमें मांग एवं आपूर्ति का प्रतिबिम्बन परावर्तन होता है और इस संबंध में उनमें राज्य द्वारा कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और क्या प्रमुख इनपुटों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती है।

(ख) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, द्वारा भारी विकृतियां, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते में डाले गए, बार्टर व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए संदाय के संबंध में, की गई हैं।

(ग) ये फर्में दिवालियापन और संपत्ति विधियों के अध्यधीन हैं जो इन फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चतता और स्थायित्व प्रदान करती हैं।

(घ) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दर के आधार पर किए गए हैं।

32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच में चीन की प्रतिवादी कंपनियों ने पहले तो बाजार अर्थव्यस्था दर्जा (एमईटी) प्रत्युत्तर दायर किया है और बाद में उसे दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के पत्र के तहत वापस ले लिया है। इसलिए प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन की किसी भी कंपनी को एमईटी दर्जा प्रदान नहीं करते हैं।

च. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन

च.1 सामान्य मूल्य

33. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु की सामान्य मूल्य का आशय

(i) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की उस तुलनीय कीमत से होता है, जब यह उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार तथा-निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए हो, या

(ii) जब उस समान वस्तु की बिक्री निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में न हो अथवा निर्यातकर्ता देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में बिक्री की मात्रा कम हो अथवा वहां ऐसी बाजार परिस्थितियां उत्पन्न हो जिनके कारण उस वस्तु की बिक्री न हो पा रही हो, और ऐसी बिक्रियों में समुचित तुलना की अनुमति न मिल पा रही हो तो सामान्य मूल्य या तो :

(क) निर्यातकर्ता देश या उसके भू-भाग या उपधार (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार किसी तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर उस वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमतम होती है; या

(ख) उद्**गम** के देश में उक्त वस्तु की उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित लाभ, बिक्री एवं सामान्य लागत प्रशासनिक व्यय आदि के तर्कसहित संवर्धनों सहित उत्पादन लागत होती है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

34. इस संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :

(i) चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए। चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाए।

(ii) प्रतिवादी निर्यातक का एमईटी प्रत्युत्तर नामंजूर कर दिया जाए। प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अगोपनीय रूपांतर केवल एक कोरी औपचारिकता है। यह प्रत्युत्तर वस्तुत: समस्त जानकारी को गोपनीय रखता है और तदद्वारा याचिकाकर्ता को कारगर प्रस्तुतिकरण करने से वंचित करता है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

(iii) मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। उस समय-सीमा के अंतर्गत स्थापित की गई प्रत्येक कंपनी पर चीन की सरकार का नियंत्रण था। इसलिए प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह कंपनी के व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप के कारण निर्यातक द्वारा किए गए एमईटी दावे को नामंजूर कर दे। इसके अतिरिक्त, केवल नाम में परिवर्तन कर देने का आशय यह नहीं है कि कंपनी में चीन की सरकार का हस्तक्षेप होना अब बंद कर दिया गया है।

(iv) याचिकाकर्ता ने ताईवान के लिए सामान्य मूल्य का दावा भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया है क्योंकि ताईवान के किसी भी निर्यातक ने मौजूदा जांच में प्रत्युत्तर नहीं दिया है और कोई अन्य विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

च. 3 चांगहांग प्लास्टिक्स के विचार

35. इस संबंध में प्रत्युत्तरदाता निर्यातक के विचार निम्नलिखित है :

(i) निर्यातक ने अपनी निर्यात बिक्रियों का विवरण अपेक्षित प्रपत्र में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि निर्यातक और उत्पादक एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसलिए, उत्पादक बार शुल्कों, जिन्हें अब माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उदग्रहित किया जा रहा है, के आलोक यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यातक को अपनी संबंधित व्यापार सरणियों के संयोजन में अपना व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए। निर्यातक प्राधिकारी को स्थल सत्यापन के जरिए सूचना का सत्यापन करने का आमंत्रण देता है।

च.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

च.4.1 चांगहांग प्लास्टिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था दावे की जांच

36. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में डब्ल्यूटीओ सदस्यों और भारत द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश इस शर्त के अध्यधीन माना गया है कि उपर्युक्त नियमों में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ निर्यातक देश या किसी व्यक्तिगत निर्यातक द्वारा इस प्रकल्पना का खंडन कर दिया जाए।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में उक्त संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए हैं और प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरूआत नोटिस के परिणामस्वरूप बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और गैर बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने की मांग की है। तथापि, निर्यातक उत्पादन ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के अपने दावे को दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के अपने पत्र के तहत वापस ले लिया है और इसलिए प्राधिकारी ने इन निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे की और अधिक जांच नहीं की है। प्रतिवादी उत्पादकों-निर्यातकों के प्रश्नावली प्रत्युत्तर की जांच संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादक प्रतिवादी के सामान्य मल्य का निर्धाण करने के लिए की है।

च.4.2 सीएचएस और चीन जन.गण. के असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

38. चीन जन.गण. (सीएचएस) के केवल एक उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में भारतीय सीमाशुल्क आंकड़ों से प्राप्त सूचना और सीएचएस से निर्यात यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किया गया है। प्रासंगिक रूप से, इस संबद्ध वस्तु का निर्यात चीन के अन्य निर्यातकों द्वारा भी किया गया है, परंतु उन्होंने प्राधिकारी को सहयाग नहीं किया है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की रचना प्रमुख कच्चे माल की खपत मानकों को अपनाकर और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा संगत अवधि के दौरान संपरिवर्तन लागत के लिए ज्ञात प्राक्कलनों के आधार पर की है। इस तरह निर्धारित उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा युक्तियुक्त लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है जिससे कि संरचनात्मक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके। सीएचएस के लिए यथा निर्धारित सामान्य मूल्य की उसी प्रमात्रा को चीन जन.गण. के अन्य निर्यातकों के लिए भी अपनाया गया है। इस तरह निर्धारित की गई संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.4.3 चाइनीज ताइपेई में सामान्य मूल्य

39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चाइनीज ताइपेई के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने विहित स्वरूप और देश में कोई भी प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि उस देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत, तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात से संबंधित सूचना, चाइनीज ताइपेई में उत्पादन लागत तथा अन्य सूचना विहित प्रपत्र में प्रस्ततु नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ता ने चाइनीज ताइपेई में सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन लागत के प्राक्कलनों के आधार पर किया है। निर्यातकों से विनिर्दिष्ट स्वरूप और ढंग से किसी भी प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने चाइनीज ताइपेई में सामान्य मूल्य का निर्धारण पूर्वोक्त नियमावली के नियम 6(8) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(1) ग के अनुसार उत्पादन लागत के प्राक्कलनों के आधार पर किया है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातक देश में इस संबद्ध वस्तु की कीमत के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और प्रमुख कच्चे माल के खपत मानकों तथा संगत अवधि के दौरान संपरिवर्तन लागत के ज्ञात प्राक्कलनों को अपनाकर किया है। इस तरह निर्धारित उत्पादन लागत में बिक्री सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा युक्तियुक्त लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है ताकि विनिर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके।

च.5 निर्यात कीमत

च.5.1 चांगहांग प्लास्टिक्स (सीएचएस) के लिए निर्यात कीमत

40. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में चांगहांग प्लास्टिक्स के लिए व्यक्तिगत निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर तथा प्रतिवादी निर्यातक उत्पादक द्वारा यथादावाकृत के आधार पर किया गया है, इस दावे की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और प्रस्तावित निर्धारण के लिए उसे स्वीकार कर लिया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण संगत अवधि के दौरान उनके द्वारा भारतीय आयातकों को भारत में प्रत्यक्षत: निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों की भारित औसत कीमत के रूप में कंपनी द्वारा प्राधिकारी का प्रदान कराए गए निर्यातों के बीजक वार ब्यौरों के आधार पर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि सीएचएस द्वारा प्रदान कराई गई सूचना में भारित आधार पर अभिव्यक्त निर्यातकों की मात्रा के संबंध में पर्याप्त सूचना का उल्लेख है। इसलिए, निर्यात कीमत का निर्धारण वस्तु की प्रति किलोग्राम औसत कीमत के आधार पर किया गया है। कतिपय खर्चों जैसे समुद्री भाग, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट समायोजन आदि के कारण कीमत समायोजन का दावा किया गया है, जिसकी जांच की गई और उसे स्वीकार कर लिया गया। भारत को निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा दावाकृत और प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी समायोजनों को घटाने के पश्चात किया गया है।

च.5.2 चीन जन.गण. के असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इम्पेक्स की सूचना चीन जन.गण. से 492 एमटी केबल टाईज के आयातों को दर्शाती है जबकि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा भारतीय आयातकों के किए गए प्रत्यक्ष निर्यातों की मात्रा *** एमटी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भी भारी मात्रा में निर्यात किया गया है। चीन के अन्य निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर असहयोगकर्ता निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान गौण स्रोत से उपलब्ध आयातों की कुल प्रमात्रा में से सहयोगकर्ता निर्यातकों से किए गए आयातों की प्रमात्रा को घटाकर किया गया है। समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट समायोजन करने के पश्चात फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का परिकलन किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.5.3 चाइनीज ताइपेई के लिए निर्यात कीमत

42. चाइनीज ताईपेई के विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में ताईवान से निर्यात कीमत का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए औसत आयात कीमत के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इम्पेक्स की सूचना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि की दौरान चाइनीज ताइपेई से केवल 193 एमटी केबल टाईज का आयात किया गया था जिसे सीआईएफ निर्यात कीमत

के रूप में माना गया है। ताईवान के उत्पादकों से सहयोग के अभाव में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन व्यय, और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन करने के पश्चात परिकलित फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.6 पाटन मार्जिन

43. पाटन मार्जिन का निर्धारण भारित औसत निर्यात कीमत के साथ भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना में आधार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन का आकलन निम्नलिखित तालिका में किया गया है :

पाटन मार्जिन का परिकलन

उदगम का देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएस डालर/ किग्राम)	निवल निर्यात कीमत (यूएस डालर/ किग्राम)	पाटन मार्जिन (यूएस डालर/ किग्राम)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
चीन जन.गण.	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	35%-45%
चीन जन.गण.	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड	चांगहांग प्लास्टिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड					
चीन जन.गण.	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड	कोई		***	***	***	40%-50%
चीन जन.गण.	अन्य	कोई					
चाइनीज ताइपेई	कोई	कोई	***	***	***	***	15%-25%

क्षति निर्धारण के लिए क्रियापद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

44. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(क) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात होता रहा।

(ख) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है।

(ग) मौजूदा जांच की अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक तथा पर्याप्त है।

(घ) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में सतत/संवर्धित क्षति की निश्चयात्मक संभावना है।

(ङ) पाटनरोधी शुल्क को समान या संवर्धित स्तर पर जारी रखना अपेक्षित है।

(च) घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि के दौरान कुछ सुधार प्रदर्शित हुआ है।

(छ) क्षति अवधि के दौरान लाभ/हानि में उस सीमा तक गिरावट प्रदर्शित हुई है, कि जांच की अवधि के दौरान तथा वर्ष 2011-12 में क्षति उठानी पड़ी। कर एवं ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ में भी समान प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

(ज) संबद्ध देशों से आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी मात्रा में कीमत अधोरदन कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कीमत निग्रहण सहन करना पड़ा है।

(झ) कीमत अधोरदन के कारण कीमत निग्रहण हुआ जिसके कारण, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में भारी गिरावट आई है।

(ञ) मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग नहीं हो सका।

(ट) संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत, उनमें पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के पश्चात भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भारी कम रहा है। अत:, संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का उपचारी प्रभाव कारगर साबित नहीं हुआ।

(ठ) घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई और यह वृद्धि जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हो गई।

(ड) संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की भारी क्षमता तथा उनकी निर्यातोन्मुखता तथा भारत में संबद्ध वस्तु की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा की समीक्षा और संवर्धन किया जाना आवश्यक है।

(ढ) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन में निश्चय ही वृद्धि होगी और उससे अंतत: घरेलू उद्योग को तीव्रतर मात्रा एवं कीमत क्षति होगी।

(ण) घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न पैरामीटर सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।

छ.2.1 संचयी आकलन

45. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों के उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क एक साथ लगाए जाने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी, इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, यदि निम्नलिखित निर्धारित हो जाता है कि :

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत है, अथवा जहां व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहां यह आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक होते हैं; और

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा के आलोक में किया जाना उपयुक्त् होगा।

46. प्राधिकारी यह संप्रेक्षण करते हैं कि :

(क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन एक निर्धारित सीमा से अधिक है;

(ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है;

(ग) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे समान वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि वर्तमान समीक्षा एक निर्णायक समीक्षा है और प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए संचयी क्षति का आकलन पहले ही किया था।

47. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्ग्रस्त होगी, जो घरेलू उद्योग का क्षति का संकेत देते हों" पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु की घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव, और इन आयातों का समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने के लिए यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है, या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है या उन कीमतों को बढ़ने से रोकना है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता।

48. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उन सभी संकेतकों पर विचार किया गया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदायकता, निवल ब्रिकी प्रापण, पाटन मार्जिन एवं उसकी मात्रा आदि।

49. वर्तमान जांच प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान, समीक्षा के मामले में भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उपयोग को क्षति का निर्धारण अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित विचार करने के पश्चात किया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही प्रभावी है इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करने के लिए प्राधिकारी को चीन एवं ताईवान से इस उत्पाद के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के तथ्य पर विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने क्षति कारित करने वाले पाटन का सामना करने के लिए मौजूदा साधन की पर्याप्तता पहलू की जांच की है।

50. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले से प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो ऐसे अधिरोपण की पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार का, एक समीक्षा में, यह विचार हो जाए कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निंतरता बनी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो ऐसे अधिरोपण की अवधि को जांच अन्य वर्षों के लिए बढ़ा सकती है और यह संवर्धित अवधि ऐसे विस्तारण की तारीख से प्रारंभ होगी।

51. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच और कीमतों एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की जांच नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने वाले मैसर्स स्योरलाक प्लास्टिक्स लिमिटेड से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए की है।

52. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार किया और उनका समुचित रूप से निराकरण कर दिया गया। प्राधिकारी ने क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण नियमों के अनुसार किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्ततता के संबंध में की है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी जहां कहीं आवश्यक हुआ उसे गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को यह निवेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भ प्रस्तुत करें। तद्नुसार पाटित आयातों के कीमत एवं मात्रा प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है।

छ.2.2 मांग एवं बाजार हिस्से का आकलन

53. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमाशुल्क वर्गीकरण के लिए डीजीसीआईएंडएस में रिपोर्ट किए गए आयात इम्पेक्स (आयात मूल्य के आधार पर) में रिपोर्ट किए गए आयातों की तुलना में बहुम कम हैं और इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ इम्पेक्स के आंकड़ों को अपनाया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद के लिए मापन की निर्धारित इकाई भार है। अभी हाल ही में अधिरोपित निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का निर्णय भी भार के आधार पर ही किया गया था। तथापि, यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान खेपवार आयातों की मात्रा मापन की अन्य भारी संख्या में इकाइयों (जैसे बैग्स, पैकेट आदि) में रिपोर्ट की गई है। तथापि, बहु संख्य खेपों (संबद्ध देशों से 70 प्रतिशत आयात, मूल्य द्वारा, भार के आधार पर रिपोर्ट किए गए है) में भार के आधार को रिपोर्ट किया गया है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने आयातों के भार का आकलन उन खेपों के संबंध में किया है जहां आयातों को भार के आधार पर रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन सभी आयातों के बारे में जहां आयात कीमत न्यून या अधिक है उनका अपवर्जन कर दिया गया है। घरेलू उद्योग ने देश के लिए औसत कीमत का निर्धारण उन आयात खेपों पर विचार करते हुए किया है जहां आयातों को भार आधार पर रिपोर्ट किया गया है। इस औसत कीमत को उन खेपों के लिए बेंचमार्क के रूप में माना जाता है जहां आयातों को भार आधार पर रिपोर्ट नहीं किया गया है। इन सभी खेपों में आयातों के भार का निर्धारण भार आधार पर रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों के लिए औसत आयात कीमत के आधार पर किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धति उपयुक्त है और इसका किसी हितबद्ध पक्षकार ने विरोध भी नहीं किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ रिपोर्ट की गई आयाता मात्रा पर विचार किया है।

54. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मांग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों तथा भारत में संबद्ध वस्तु के सभी स्रोतों से प्राप्त आयातों के जोड़ के रूप में, ऊपर पैरा में किए गए चर्चा के आधार पर किया है। इस तरह आकलित मांग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि देश में इस उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2011-12 में मांग में गिरावट हुई थी परंतु जांच की अवधि (2012-13) में इस मांग में आधार वर्ष (2009-10) और विगत वर्ष (2011-12) में वृद्धि हुई है।

अवधि	**मापन की इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
मांग	एमटी	1191	1340	1257	1393
प्रवृत्ति	इंडेक्स	*100*	*112*	*106*	*117*
चीन जन.गण.	एमटी	485	649	517	492
चाइनीज ताइपेई	एमटी	372	428	283	193
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	857	1,077	800	685
अन्य देशों से आयात	एमटी	19	30	146	355
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	265	183	190	223
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	50	50	121	130
बाजार हिस्सा					
चीन जन.गण.	%	41	48	41	35
चाइनीज ताइपेई	%	31	32	22	14
संबद्ध आयात	%	72	80	64	49
अन्य आयात	%	2	2	12	25

घरेलू उद्योग	%	22	14	15	16
अन्य भारतीय उत्पादक	%	4	4	10	9

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करने के पश्चात संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2010-11 तक भारत में खपत के संबंध में वृद्धि हुई है और उसके पश्चात वर्ष 2011-12 तथा जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। पुन: यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से आयातों को बाजार हिस्से में और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

छ.2.3 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

56. पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत के संगत रूप में अथवा समग्र रूप में भारी वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित प्रावधान है :

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाठित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में अथवा समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है।"

क्षति अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के आयात निम्नवत रहे हैं :

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
चीन जन.गण.	एमटी	485	649	517	492
चाइनीज ताइपेई	एमटी	372	428	283	193
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	857	1,077	800	685
अन्य देशों से आयात	एमटी	19	30	146	355
कुल आयात	एमटी	876	1,107	946	1,040
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों का आयात					
कुल आयात	%	98%	97%	85%	66%
भारत में खपत	%	74%	83%	75%	75%
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	317%	469%	352%	434%

57. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत के बाद उसमें समग्र रूप में गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध देशों से आयात भारत में खपत और भारतीय उत्पादन तथा कुल आयातों के संबंध में बहुत अधिक रहा है। वास्तव में, संबद्ध देशों से आयातों का विचाराधीन उत्पाद की भारतीय खपत में अधिकांश हिस्से पर कमांड बना रहा। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयातों की यह मात्रा बहुत अधिक है।

छ.2.4 कीमत प्रभाव

58. पाटित आयातों का कीमत पर प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित प्रावधान है :

"नियम 18 के उप-नियम (2) में यथाउल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन कारित किया गया है

अथवा इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है या उन कीमतों को बढ़ने से रोकना जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होगी।

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन कारित किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का निग्रहण करना है अथवा उन कीमतों में वृद्धि होने से रोकना है, जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। संबंधित उत्पाद की तुलना घरेलू उद्योग की औसत बिक्री तथा निर्यातित उत्पाद की उतराई कीमत से की गई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण व्यापार के समान स्तर पर सभी रिबेटों और करों के निवल के रूप में की गई है।

छ.2.4.1 कीमत अधोरदन और कीमत बिक्रयण

60. कीमत अधोरदन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

कीमत अधोरदन	**मापन की इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
निवल बिक्री कीमत	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
संबद्ध देश					
उतराई मूल्य (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
उतराई मूल्य पाटनरोधी शुल्क सहित	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	%	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन रेंज	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना) रेंज	%	25-35%	30-40%	25-35%	25-35%
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन रेंज	%	20-30%	25-35%	25-35%	15-25%
चीन					
उतराई मूल्य (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	%	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना) रेंज	%	25-35%	30-40%	25-35%	25-35%
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन रेंज	%	20-30%	25-35%	25-35%	20-30%
चाइनीज ताइपेई					

कीमत अधोरदन	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उतराई मूल्य (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपए/ किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	%	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (पाटनरोधी शुल्क के बिना) रेंज	%	20-30%	25-35%	25-35%	20-30%
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन रेंज	%	20-30%	25-35%	25-35%	10-20%

61. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नवत नोट करते हैं :

(क) संबद्ध देशों से आयातों का उतराई मूल्य तथा घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, दोनों देशों से आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से बहुत कम थी। इस प्रकार संबद्ध देशें से संबद्ध वस्तु के आयातों ने घरेलू उद्योग को कीमत अधोरदन कारित करना जारी रखा।

(ख) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संदर्भ कीमत के रूप में केंद्रीय सरकार ने 31 अक्तूबर, 2008 को किया था। यद्यपि इस पाटनरोधी शुल्क को 14 दिसम्बर, 2012 से नियात स्वरूप में संशोधित करके अधिरोपित किया गया था परंतु संबद्ध देश से कीमत अधोरदन फिर भी भारी मात्रा में बना रहा है।

(ग) आयातों की उतराई कीमत तथा गैर-क्षतिकारी कीमत के बीच तुलना यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत जांच की अवधि के दौरान गैर-क्षतिकारी कीमत और उत्पादन लागत से बहुत कम है।

कीमत अधोरदन	मापन की इकाई	जांच की अवधि
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपए/किलोग्राम	***
आयातों की उतराई कीमत		
चीन	रुपए/किलोग्राम	***
ताईवान	रुपए/किलोग्राम	***
कीमत अधोविक्रयण राशि		
चीन	रुपए/किलोग्राम	***
ताईवान	रुपए/किलोग्राम	***
कीमत अधोविक्रयण %		
चीन	%	***
ताईवान	%	***
कीमत अधोविक्रयण प्रतिशत रेंज		
चीन	%	20-30%
ताईवान	%	15-25%

छ.2.4.2 कीमत निग्रहण एवं अवमंदन

62. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लागत एवं कीमत उतार-चढ़ाव तथा संबद्ध देशों से आयातों के उतराई मूल्य की तुलना यह जांच करने के लिए की गई कि क्या इन पाटित आयातों के प्रभाव से भारी मात्रा में कीमत अवमंदन होगा अथवा इससे कीमतों में उस वृद्धि को बढ़ने से वंचित किया जाएगा जो वृद्धि अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	112	138	138
बिक्री कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	108	109	123

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में जांच की अवधि के दौरान 23 प्रतिशत का इजाफा हुआ वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अत: यह नोट किया जाता है कि यद्यपि पिछली वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई वहीं इसकी बिक्री कीमत में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिससे कीमत निग्रहण हुआ। उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान आयातों की उतराई कीमत, लागत एवं बिक्री कीमत सभी में वृद्धि हुई परंतु संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत तथा बिक्री कीमत में वृद्धि उतनी अधिक नहीं हुआ जितनी वृद्धि बिक्री लागत में हुई।

छ.2.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर्स

64. पाटनरोधी नियमावली के नियम-2 में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति के निर्धारण में इन आयातों का इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होनी चाहिए। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव के संबंध में नियम में यह प्रावधान किया गया है कि पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतनांकों का उद्देश्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित गिरावट, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह व्यक्त होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तथापि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन यथावश्यक परिवर्तनों सहित आधार पर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उस पाठन का प्रतिरोध करने के लिए वर्तमान साधन पर्याप्त हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई है :

(क) उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग, बिक्री

65. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नवत है :

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	100	100	100
समरूप उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	90	101	84

विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	77	90	91
संयंत्र क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	90	102	85
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	69	72	84

66. यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। घरेलू उद्योग का उत्पादन उसी संयंत्र में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के लिए वर्ष 2010-11 में गिरावट आई जबकि 2011-12 में उसमें सुधार हुआ और जांच की अवधि में उसमें फिर गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई। यद्यपि घरेलू उद्योग विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि की बिक्री मात्रा में कुछ वृद्धि करने में सक्षम रहा परंतु वह वर्ष 2009-10 में पंजीकृत बिक्री मात्रा से अभी भी बहुत कम हैं। क्षति अवधि के दौरान क्षमता का लगभग *** प्रतिशत कम उपयोग हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की जांच और सत्यापन करने के पश्चात प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग की क्षमता, विचाराधीन उत्पाद की तुलना में अन्य वस्तुओं का विनिर्माण करने की अधिक है। उपर्युक्त के मद्देनजर संयंत्र क्षमता पर विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि संयंत्र उपयोग में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई।

(ख) लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

67. घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह की जांच निम्नवत की गई है :

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	112	138	138
बिक्री कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	108	109	123
लाभ/हानि	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	73	-129	-3
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	51	-93	-3
कर एवं ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	65	-29	64
निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	78	-28	43

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अवधि में उत्पाद लागत और बिक्री लागत दोनों में ही वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने की घरेलू उद्योग की अक्षमता पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में वर्ष 2009-10 से 20111-12 में प्रपाती गिरावट आई है। तथापि, मध्यावधि समीक्षा जांच के परिणामस्वरूप जबकि उत्पादन लागत वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि के दौरान समान बनी रही वहीं बिक्री कीमत में और अधिक वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप घाटे में कमी आई। तथापि, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में निरंतर घाटा होता रहा।

यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग मूल जांच के समय लाभ में थी, जिसमें क्षति अवधि में गिरावट आई। पुन: यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को मध्यावधि समीक्षा की क्षति अवधि के दौरान भारी घाटा हुआ।

(ग) मांग एवं बाजार हिस्सा

69. घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
घरेलू उद्योग	%	22.25	13.66	15.39	15.95
अन्य भारतीय उत्पादक	%	4.20	3.73	9.79	9.29
संबद्ध आयात	%	71.97	80.39	64.71	49.42
अन्य आयात	%	1.58	2.22	10.11	25.34
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद, भारी गिरावट आई। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई जबकि अन्य देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि तीसरी दुनिया के देशों से अधिकांश आयात थाईलैंड से हुआ, जहां मैसर्स जाइन्टलोक, जिसका चीन एवं थाईलैंड में प्रचालन विनिर्माण है, द्वारा निर्यात किए जा रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई के समय यह दावा किया था, जिसे मैसर्स जाइन्टलोक द्वारा अटैंड किया गया। तथापि, मैसर्स लाइन्टलोक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को न तो विहित स्वरूप और ढंग से उत्तर दिया और न ही घरेलू उद्योग के दावे का खंडन किया।

(घ) मालसूची

71. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं :

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*अनुक्रमित*	100	78	167	260

72. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर में वर्ष 2010-11 में गिरावट और फिर वर्ष 2011-12 तथा जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। जांच की अवधि मालसूची में वृद्धि बहुत अधिक है।

(ड.) रोजगार एवं पारिश्रमिक

73. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर तथा पारिश्रमिक की स्थिति निम्नवत है :

अवधि	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	*100*	*91*	*145*	*159*
पारिश्रमिक	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	85	129	141

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर और पारिश्रमिक में वर्ष 2010-11 में गिरावट आई और फिर वर्ष 2011-12 में तथा जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

(च) उत्पादकता

75. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

उत्पादकता	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	94	67	55
प्रतिदिन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	86	97	87

76. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन में गिरावट के अनुरूप ही क्षति अवधि में उत्पादकता में भी गिरावट आई है।

(छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

77. संबद्ध देशों से तथा अन्य देशों से आयात कीमत, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा पाटित आयातों के अलावा वे अन्य कारक जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो सकती है, पर विचार करने से यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों से आयातित माल का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। पुन: यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात काफी उच्च कीमतों पर किए गए है। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थानी नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी और यह वह कारक नहीं हो सकता है जिससे घरेलू कीमतें प्रभावित होती हैं। अत: घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की उतराई कीमतम और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है।

ज) पाटन मार्जिन की मात्रा

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक एवं पर्याप्त है।

झ. वृद्धि

79. घरेलू उद्योग के विभिन्न पैरामीटरों से जांच से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जहां जांच की अवधि में उत्पादन में ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई वहीं घरेलू बिक्रियों में सुधार हुआ है। कीमत पैरामीटरों के संबंध में यह वृद्धि वर्ष 2011-12 तक ऋणात्मक है और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें सुधार हुआ है।

वृद्धि प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)	मापन की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन मात्रा	%	-	-14%	14%	-11%
घरेलू बिक्री की मात्रा	%	-	-31%	4%	17%
लाभ/हानि	%	-	-49%	-283%	-97%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-22%	-136%	51%

ञ. पूंजी उगाहने की क्षमता

80. यह नोट किया जाता है कि यदि वर्तमान स्रोत से पाटन बना रहता है तो घरेलू उद्योग की पूंजी उगाहने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ख.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात भी भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और समग्र रूप से मात्रा में भारी गिरावट जारी रही। आयातों की उतराई कीमत बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके परिणामस्वरूप भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही जिसके परिणामस्वरूप बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी निग्रहण प्रभाव हुआ है। उत्पादन घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। अत: यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव किया जाता है कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है।

ख.5 कारणात्मक संबंध

82. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक भी है जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा हो, जिससे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी न ठहराया जा सके। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन आयातों की मात्रा जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई, मांग में कमी या खपत के प्रतिरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। यह जांच की गई कि क्या नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध इन अन्य पैरामीटरों ने घरेलू उद्योग की क्षति में कोई योगदान किया है।

(क) अन्य देशों से आयात तथा ज्ञात कारक

83. जांच की अवधि के दौरान लगभग 66 प्रतिशत आयात वर्तमान जांच के संबद्ध देशों से हुए थे। तीसरी दुनियां के देशों से आयात, थाईलैंड को छोड़कर, नगण्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि थाईलैंड से आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और थाइलैंड से आयात के मामले में याचिकाकर्ता ने थाईलैंड से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए याचिका दायर कर रखी है। वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण किसी नए देश को वर्तमान जांच की परिधि में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, थाईलैंड से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए याचिका प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने यह दवा किया है कि थाईलैंड से आयात की जा रही अधिकांश वस्तु का उत्पादन जाइन्टलोक द्वारा किया गया है, जो थाईलैंड और चीन दोनों के लिए विनिर्माण सुविधाएं प्रदान करता है, और इसका चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई खंडन भी नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने पुन: यह तर्क दिया है कि इस बात की भारी संभावना है कि थाईलैंड से आयात की जा रही वस्तुएं वास्तव में चीन द्वारा उत्पादित वस्तुएं है (जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उक्त वस्तु थाईलैंड में उदभवित हुई है क्योंकि चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है)। अन्य सभी देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं कर सकता है।

(ख) मांग में संकुचन

84. आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट वह एक कारक नहीं माना जा सकता है जिसके कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा हो।

(ग) खपत के प्रतिरूप में परिवर्तन

85. खपत के प्रतिरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण किया है।

(घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

86. संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं लाई गई है। घरेलू उत्पादक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही वे संबद्ध वस्तु के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत से प्रभावित है।

(ङ.) प्रौद्योगिकी में विकास

87. जांच से प्रौद्योगिकी में कोई विशेष विकास प्रदर्शित नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

(च) घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात

88. घरेलू उद्योग के निर्यात नगण्य हैं। वास्तव में वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि में कोई निर्यात बिक्री नहीं हुई। इसलिए, निर्यात घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन को प्रभावित नहीं कर सकता है।

(छ) उत्पादकता

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में घरेलू उद्योग के उत्पादन के अनुरूप ही गिरावट आई है। तथापि, उत्पादकता में परिवर्तन इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है कि उससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में कोई खास परिवर्तन आ सके। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है।

छ.4.1 कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले पैरामीटर

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति इन अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई हैं, तथापि निम्नलिखित पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण ही हुई है :

(क) आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। कीमत अधोरदन के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं ने आयातों का आश्रय किया, जिससे आयातों की मात्रा में भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में और समग्र रूप से भारी एवं वृद्धि हुई है।

(ख) सकारात्मक कीमत अधोरदन के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में सतत आयात हो रहे हैं। परिणामत: घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, और बाजार हिस्सा बढ़ाने से निवारित किया जा रहा है। वास्तव में उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद गिरावट प्रदर्शित हुई है और घरेलू उद्योग की क्षमताओं का कम उपयोग हो सका है।

(ग) चूंकि कीमत अधोरदन के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में ऐसी सीमा तक गिरावट आई कि जहां मूल जांच और मध्यावधि जांच के समय घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था वहीं अब घरेलू उद्योग को घाटा होने लगा।

(घ) मूल रूप से अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को नियत स्वरूप में संशोधित किया गया। तथापि, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह महत्वपूर्ण नहीं थी।

91. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध पाटित आयातों द्वारा ही नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है।

ज. पाटन एवं क्षति की निरंतरता की संभावना

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

92. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना है :

(क) यह प्रस्तुत किया गया है कि संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों तथा घरेलू समान उत्पादों की कीमतों में मौजूदा एवं संभावित अंतर बहुत अधिक है और इसलिए पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में आयातों की मांग में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है।

(ख) भारी कीमत अंतर और आयातों में संभावित परिणामी वृद्धि का घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी निग्रहण प्रभाव होता है।

(ग) संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास भारी मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता है जिससे यह संकेत मिलता है कि अतिरिक्त निर्यातों का अवशोषण करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता के कारण भारतीय बाजारों में पाटित आयातों की भारी वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) मूल तथा वर्तमान जांच के बीच आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि स्पष्टत: यह स्थापित करती है कि घरेलू उद्योग को सतत पाटन एवं परिणामी क्षति की तीव्र संभावना है।

(ङ) भारतीय बाजारों में संबद्ध देशों द्वारा धारित उच्च बाजार हिस्सा स्पष्टत: पाटन की संभावित निरंतरता स्थापित करता है।

(च) संबद्ध देशों में उत्पादकों एवं निर्यातकों की निर्यातोन्मुख बहुत अधिक है जो यह दर्शाती है कि निर्यात पाटित कीमतों का होना जारी रहने की संभावना है।

ज. मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स के विचार

93. मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स लिमिटेड द्वारा प्रस्ुतत किया गया है कि उनके पास इस विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन और/या वृद्धि करने, विस्तार करने, कम करने,या उत्पादन करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने पुन: यह प्रस्तुत किया कि उत्पादन प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

94. वर्तमान जांच चीन जन.गण. और चाइनीज ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी में यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति कर देने से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ने की संभावना है। वर्तमान जांच में सतत पाटित आयात हुए हैं और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटित आयातों की निरंतरता में वृद्धि होने की संभावना है। मूल जांच, मध्यावधि समीक्षा जांच और वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और यह कि जहां तक संबद्ध वस्तु के लिए मांग और कीमत का संबंध है, संबद्ध निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां हैं। यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उससे पाटन में वृद्धि होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर अपने निर्यात जारी रखे हैं। निम्नलिखित विश्लेषण दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में सतत/तीव्रीकृत पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।

(i) वर्तमान एवं विगत पाटन मार्जिन का स्तर

95. मूल जांच, मध्यावधि जांच और वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन और कीमतम अधोविक्रयण एवं कीमत निग्रहण पर विचार करते हुए तथा चीन की उत्पादन क्षमता एवं भारतीय माम पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(ii) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

96. वह कीमत जिस पर संबद्ध निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, इस बात का संकेतक है कि पाटन की निरंतरता एवं तीव्रीकरण की भारी संभावना है। भारत में मौजूदा उतराई कीमत पर भारी सकारात्मक कीमतम अधोरदन हुआ है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से विदेशी उत्पादकों को भारतीय कीमतें बहुत अधिक आकर्षक हो जाएंगी जिससे वे भारत को पाटित कीमतों पर अपने निर्यात तीव्र कर देंगे और इस बात की भारी संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी मात्रा में आयातों का आश्रम ग्रहण कर लेंगे।

(ii) संबद्ध देशों में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

97. रिकार्ड में उपलब्धता क्षमता यह दर्शाती है कि विदेशी उत्पादकों/निर्यातों की भारी निर्यातोन्मुखता है। भारत में संबद्ध वस्तु की भारी मांग और अनुकूल बाजार परिस्थितियों को, तथा इन उत्पादकों की भारी उत्पादन क्षमता तथा निर्यातोन्मुखता पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में यह निर्यातक भारत में पाटित कीमतों पर अपने निर्यात में वृद्धि करेंगे।

(iv) संबद्ध देशों में भारी उत्पादन क्षमता

98. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के कई उत्पादक हैं। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने तथा संबद्ध देशों में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि संबद्ध देश के उत्पादक संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में लगे भारतीय सेक्टर को पूर्णतया अपने कब्जे में कर सकते हैं।

(v) मूल जांच अवधि तथा उत्तरवर्ती अवधियों में भारी वृद्धि

99. विगत मामलों में तथा वर्तमान अवधि में रिपोर्ट किए गए आयातों की मात्रा का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयातें की मात्रा बहुत अधिक रही। जब पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा इतनी अधिक रही तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि होगी। इस बात में विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर आयात की मात्रा में गिरावट आएगी।

(vi) भारतीय बाजार में संबद्ध देशों द्वारा धारित बाजार हिस्सा

100. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यह हिस्सा और भी अधिक बढ़ जाएगा।

101. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह प्रतिपादित करने का प्रस्ताव करते हैं कि शुल्क की समाप्ति से उत्पाद का पाटन होने की निरंतरता बनी रहेगी।

झ. क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

102. संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना, क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए दोनों संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई है।

उदगम का देश	उत्पादक	निर्यातक	गैर क्षतिकारी कीमत (यूएस डालर/किग्रा)	उतराई मूल्य (यूएस डालर/किग्रा)	क्षति मार्जिन (यूएस डालर/किग्रा)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (%) रेंज
चीन जन.गण.	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पिरियल प्लास्टिक कपंनी लिमिटेड	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पिरियल प्लास्टिक कपंनी लिमिटेड	***	***	***	***	20%-30%

उदगम का देश	उत्पादक	निर्यातक	गैर क्षतिकारी कीमत (यूएस डालर/किग्रा)	उतराई मूल्य (यूएस डालर/किग्रा)	क्षति मार्जिन (यूएस डालर/किग्रा)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (%) रेंज
चीन जन.गण.	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पिरियल प्लास्टिक कपंनी लिमिटेड	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड					
चीन जन.गण.	चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप इम्पिरियल प्लास्टिक कपंनी लिमिटेड	कोई		***	***	***	25%-35%
चीन जन.गण.	अन्य	कोई					
चाइनीज ताइपेई	कोई	कोई	***	***	***	***	15%-25%

ञ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

103. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन आई कमी को दूर करेगा, और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में सहायता करेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देश से आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं पड़ेगा और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित न हो। सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में हैं। उपभोक्तागण आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत अब भी बनाए रख सकते हैं।

ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

104. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :

(क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद केबल टाईज है। चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री विभिन्न नामों से की जाती है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में विशेष रूप से उल्लेख करे कि इस विचाराधीन उत्पाद पर आयातकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वैकल्पिक नामों पर ध्यान दिए बिना पाटनरोधी शुल्क लगेगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमाशुल्क कोड नहीं है, इसलिए प्राधिकारी शुल्क तालिका इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।

(ख) रिकार्ड में उपलब्ध सूचना स्पष्टत: यह सिद्ध करती है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है।

(ग) चांगहांग प्लास्टिक्स ने अपना एमईटी दावा वापसी ले लिया है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई किया जाना पूर्णतया न्यायोचित है।

(घ) संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हो रहा है। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आकलित पाटन मार्जिन की प्रमात्रा से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है।

(ङ) दोनों संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत घरेलू बिक्री कीमत का अधोरदन रह रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग कीमत निग्रहण की समस्या से जूझ रहा है।

(च) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत गैर क्षतिकारी कीमत से कम है जिससे भारी सकारात्मक क्षति मार्जिन प्रदर्शित हुई है।

(छ) कीमत निग्रहण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति कर देने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का विपरीत कीमत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ज) यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से इस उत्पाद के पाटन की मात्रा और अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

(झ) पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारी कीमत अधोरदन की मौजूदगी के परिणामस्वरूप संभव है कि उपभोक्ताओं का रूख आयातित सामग्री की ओर अधिक बढ़ जाए।

(ञ) प्रभावी पाटनरोधी शुल्क चालू अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा पर नियंत्रण रखने में इस तथ्य के मद्देनजर बहुत कम सीमा तक कारगर रही है कि यह उत्पाद शुल्क के बेंचमार्क स्वरूप से पीड़ित था और उसमें अभी हाल ही में निर्धारित प्रमात्रा में संशोधन किया गया है।

(ट) इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस तथ्य को ध्यान में रखते कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास भारी क्षमताएं हैं और वे अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं, आयातों की मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

(ठ) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका स्वाभाविक प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता पर पड़ेगा। लाभ में गिरावट आने से नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में कमी आएगी। यदि घरेलू उद्योग अपना सामान्य कीमत स्तर बनाए रखना चाहता है तो उसकी बिक्री मात्रा में गिरावट आ जाएगी क्योंकि उपभोक्ताओं का रूख आयातित माल की ओर अधिक हो जाएगा।

(ड) शुल्क की सिफारिश यूएस डालर रूप में निर्धारित मात्रा में की जानी चाहिए।

सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण

105. एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ने निम्नलिखित दिए है :

(क) प्राधिकारी यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि उन्होंने भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक के रूप में ब्लैकबर्न से उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों की मांग कैसे की और उसे कैसे प्राप्त किया।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रकटन नियम 16 में निर्धारित नैतिक बाध्यता को पूरा नहीं करता है क्योंकि इस प्रकटन विवरण में डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़े तथा इम्पेक्स आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस प्रकटन विवरण में आंकड़ों का संपूर्ण देशवार वार्षिक सारांश भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए और निर्यातक को उन पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ग) निर्यातकों को अपनी-अपनी व्यापार सारणियों के संयोजन में व्यक्तिगत मार्जिन का आबंटन किया जाना चाहिए क्योंकि उनके निर्यात आंकड़े प्राधिकारी के पास रिकार्ड में पहले से ही उपलब्ध होते हैं।

(घ) प्राधिकारी को सामान्य मूल्य से संबंधित आंकड़ों का खुलासा करना चाहिए ताकि निर्यातक अपने पाटन मार्जिन परिकलन का सत्यापन कर सके।

(ङ) असहयोगकर्ता उत्पादकों को सहयोगकर्ता निर्यातकों के समान ही पाटन मार्जिन प्रदान करना साम्यपूर्ण नहीं लगता है। चीन जन.गण. से "अन्य सभी" के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करने की दर एमटीआर जांच में अपनाई गई क्रियापद्धति अर्थात चीन जन.गण. के प्रतिवादी निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई न्यूनतर प्रतिनिधिक कीमत पर आधारित होना चाहिए।

(च) ताईवान के लिए परिकलित पाटन एवं क्षति मार्जिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जन.गण. के सहयोगकर्ता निर्यातक के पाटन एवं क्षति मार्जिन से कम है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ताईवान के किसी भी निर्यातक ने इस उत्पाद के संबंधित इस जांच में या इससे पूर्व हुई जांच में कोई सहयोग नहीं दिया था।

(छ) चूंकि प्राधिकारी ने कीमतों तथा व्यापार की अंतर्ग्रस्त सारणियों से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पाटन मार्जिन का परिकलन विभेदकारी ढंग से किया गया है।

(ज) प्रति यूनिट यथातथ्य मार्जिन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(झ) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का संबंध संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से से नहीं है। इसके लिए अन्य घरेलू उत्पादकों तथा थाईलैंड से आयातों के बढ़ते हिस्से को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(ञ) जब तक घरेलू उद्योग थाईलैंड से होने वाले आयातों की जांच के लिए विशेष रूप से एक आवेदन दायर नहीं करता है तब तक थाईलैंड से होने वाला आयात कारणात्मक संबंधों में भंग बनाए रखेगा।

(ट) संचयी रूप से, संबद्ध देश के आयातों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

(ठ) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वर्ष 2010-11 से जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है।

(ड) संयंत्र में उत्पादित अन्य उत्पादों का संवर्धित हिस्सा है। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट को संबद्ध आयातों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है।

(ढ) घरेलू उद्योग की एक निहित लागत या अकार्यकुशलता है जिसके कारण इसे वास्तविक क्षति हो रही है, क्योंकि अन्य घरेलू उत्पादक अपना बाजार हिस्सा दोगुना करने में सक्षम हुए हैं।

(ण) यद्यपि याचिकाकर्ता को थाईलैंड से आयातों पर शुल्क का अनुरोध करते हुए एक वैकल्पिक याचिका दायर करनी चाहिए, तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह नैतिक दायित्व है कि वह यह प्रदर्शित करें कि इन आयातों के कारण सहन की गई क्षति का पृथक्करण कैसे किया गया है ताकि उसके लिए आयातों को जिम्मेवार न ठहराया जा सके।

(त) प्राधिकारी ने संभाविता से संबंधित याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में निर्यातकों द्वारा किए गए प्रकथन को न तो पावती भेजी है और न ही उसका कोई समाधान किया है, संबद्ध देशों से वर्षों तक निर्यात मात्रा के संबंध में याचिकाकर्ता का विश्लेषण ढेढ़ामेढ़ा है और उसका प्रस्तुतिकरण विषय से हटकर किया गया है। द्वितीयत:, एमटीआर में सकारात्मक जांच परिणाम की मौजूदगी और संबद्ध देशों द्वारा धारित भारी बाजार हिस्से के आशय यह नहीं है कि पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(थ) याचिकाकर्ता का यह दावा निराधार है कि विदेशी उत्पादकों के पास निस्तारण क्षमता है और वे निर्यातोन्मुखी हैं।

(द) यदि भारत में कीमतें इतनी अधिक कम हैं तो प्रश्न यह उठता है कि भारत को कीमत आकर्षक बाजार कैसे माना जा सकता है। किसी ऐसी बाजार में बिक्री करना जहां कीमत विदेशी बाजार की कीमतों की तुलना में कम है, व्यावसायिक रूप से लाभप्रद प्रतीत नहीं होता है।

(ध) निर्यातकगण किसी सार्थक सारांश के अभाव में गैर क्षतिकारी कीमत पर अपनी टिप्पणी उचित रूप से नहीं कर सकते हैं।

(न)

106. प्राधिकारी द्वारा जांच

(क) जहां तक मैसर्स ब्लैकबर्न के उत्पादन तथा घरेलू उद्योग की विधिक स्थिति के संबंध में किए गए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता में मैसर्स ब्लैकबर्न के उत्पादन से संबंधित सूचना प्रदान की है परंतु उस पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध करते हुए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग का यह दावा असत्य है।

(ख) गौण स्रोत इम्पेक्स द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों का प्रकटन करने के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता इम्पेक्स के आंकड़े अपनी याचिका के एक भाग के रूप में प्रदान कराए थे और उन्हें याचिका के अगोपनीय पाठ में भी शामिल किया गया था। तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से सौदेवार आंकड़े प्राप्त किए थे और प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण में किए गए अभिकथन के अनुसार इम्पेक्स आंकड़ों का प्रयोग विलक्षण स्थिति में करके केवल डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों का ही प्रयोग किया है।

(ग) प्रतिवादी निर्यातक ने विभिन्न व्यवसाय सारणियों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी पाटन मार्जिन का मूल्यांकन संगत रूप से उत्पादक और निर्यातकवार करते हैं न कि व्यापार सारणीवार। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई विधि प्रावधान नहीं है जिसमें प्राधिकारी से प्रत्येक व्यापार सारणी के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती हो। वास्तव में प्रत्येक बिक्री सारणी के लिए पृथक पाटन मार्जिन उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) प्रतिवादी निर्यातक ने सामान्य मूल्य का प्रकटन करने का अनुरोध किया है। चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना पर आधारित होता है। चूंकि निर्यातक ने एमईटी दावे को वापस ले लिया है इसलिए इस तरह निर्मित सामान्य मूल्य का प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

(ङ) जहां तक चीन के मामले अवशिष्ट श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन का सवाल, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि चीन जन.गण. के असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यातों के लिए विधिवत लेखाकरण करने के पश्चात तर्कसंगत निर्यात कीमत स्तर आधार पर किया जाना चाहिए। ताईवान के मामले में चूंकि किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान भारत को आयातों की भारित औसत कीमत के आधार पर किया है।

(च) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चांगहांग प्लास्टिक्स के लिए पाटन मार्जिन कंपनी द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर आधारित नहीं है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी चांगहांग के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण कपंनी द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के आधार पर ही किया है।

(छ) यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और यह कि अन्य देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि नियमों में प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटन का मार्जिन न्यूनतम से अधिक है, क्या आयातों की मात्रा नगण्य से अधिक है और क्या आयातों के प्रभाव

का संचयी आकलन करना सही है। वर्तमान मामले में इन सभी शर्तों को पूरा किया गया है और इसलिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा।

(ज) प्रतिवादी निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से से कोई संबंध नहीं है उसको अन्य घरेलू उत्पादकों को बढ़ते हिस्से और थाईलैंड से होने वाले आयातों पर उपरोपित किया जा सकता है। तथापि, प्राधिकारी ने यह धारित नहीं किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट संबद्ध देशों से बढ़ते आयातों के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट संबद्ध आयातों के कारण होनी चाहिए। संबद्ध आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन के मद्देनजर इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है और किसी भी पक्षकार ने उसके इस तर्क का खंडन नहीं किया है कि थाईलैंड से वस्तु का आयात जाइन्टलोक द्वारा किया जा रहा है जो चीन के एक उत्पादक से संबद्ध कंपनी है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाता है।

(झ) यह तर्क दिया गया है कि इस संयंत्र में उत्पादित अन्य उत्पादों का हिस्सा बढ़ रहा है तथा विचाराधीन उत्पाद के हिस्से में कमी आ रही है, परंतु इसके लिए संबद्ध आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग केवल 51 प्रतिशत था और इसलिए अन्य प्रकार के उत्पादों के उत्पादन से विचाराधीन उत्पादक के उत्पादन में गिरावट नहीं आई होगी।

(ञ) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010-11 से जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने तथा बढ़ती मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग की जांच की अवधि में बिक्री मात्रा वर्ष 2009-10 की बिक्री मात्रा की तुलना में वास्तव में कम थी। जबकि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग जो वर्ष 2009-10 में 1191 एमटी थी, बढ़कर जांच की अवधि में 1393 एमटी हो गई परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री इसी सम-सामयिक अवधि के दौरान 265 एमटी से घटकर 223 एमटी हो गई।

(ट) यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता ने थाईलैंड पर शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए अपनी याचिका घरेलू उद्योग की एक अंतर्निहित लागत या अक्षमता है जिसके कारण उसे वास्तविक क्षति हो रही है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को उसी रूप में देखा जाना अपेक्षित है, जिस रूप में वह इस समय मौजूदा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को क्षति की जांच नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित के रूप में करना अपेक्षित होता है। कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए क्षति की जांच यथापरिभाषित के रूप में करना अपेक्षित है।

(ठ) यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता ने थाईलैंड पर शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए अपनी याचिका दायर की होती है तो प्राधिकारी का यह प्रदर्शित करने का नैतिक दायित्व होता है कि इन आयातों के कारण सहन की गई क्षति को किसी तरह पृथक किया गया है जिससे कि उनके लिए संबद्ध आयातों को उत्तरदायी न ठहराया जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को अपाटित आयातों से क्षति का पृथक्करण करना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी को पाटित आयातों से क्षति का पृथक्करण करना अपेक्षित नहीं होता है।

(ड) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना संभाविता को सिद्ध नहीं करती है। यह तर्क दिया गया है कि वर्षों के दौरान संबद्ध देशों से किए गए निर्यात के संबंध में किया गया विश्लेषण अलजलूल है और उसका प्रस्तुतिकरण विषय से हटकर किया गया है; एमटीआर में सकारात्मक जांच परिणाम की मौजूदगी मात्र से और संबद्ध देशों द्वारा धारित भारी बाजार हिस्से का आशय यह नहीं है कि पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा

उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो जाती है; याचिकाकर्ता का यह दावा कि विदेशी उत्पादकों के पास मौजूदा एवं संभावित मुक्तरूप से निस्तारणीय क्षमता है, और वे निर्यातोन्मुखी हैं, निराधार हैं, यदि भारत में कीमतें इतनी अधिक कम हैं तो भारत को एक कीमत आकर्षक बाजार के रूप में नहीं माना जा सकता है; किसी ऐसी बाजार में बिक्री करना विवेकपूर्ण नहीं है जहां कि कीमतें विदेशी बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम हों। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण सत्यापन योग्य दावों द्वारा समर्थित है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों ने तो संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों को किए गए अपने निर्यातकों के खेपवार विवरण के संबंध में अधिदेशित सूचना भी निर्यातक प्रश्नावली के भाग-2 के अनुसार प्रदान नहीं कराई है। यह तथ्य है कि संबद्ध देशों से मौजूदा बाजार हिस्सा बहुत अधिक है तथा संबद्ध देशों से कीमत अधोरदन भी बहुत अधिक है, स्वयं ही यह सिद्ध करता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग को भारी क्षति होगी। जहां तक कीमत आकर्षकता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत आकर्षकता को भारत में प्रचलित कीमतों के आलोक में देखा जाना अपेक्षित है, न कि भारत में आयात कीमतों के आलोक में। आयात कीमतें पाटित कीमतें होती हैं और इस समय आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यदि भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतें उच्च हों तो निर्यातकों को स्वत: ही भारती बाजार, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में, भारी मात्रा में निर्यात करने के लिए आकर्षक लगने लगेगी।

(ढ) निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि वे सार्थक सारांश के बिना गैर-क्षतिकारी कीमत पर पर्याप्तत: टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने और उसका सार्थक सारांश प्रस्तुत करने के संबंध में क्रियापद्धति का अनुपालन किया गया है और इसलिए उसका प्रकटन विवरण में उल्लेख कर दिया गया है। प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना को नियम 7 के आलोक में प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उस पर गोपनीयता का दावा किया है।

(ण) प्राधिकारी घरेलू उद्योग के शुल्क के स्वरूप के संबंध में दावे तथा विचाराधीन उत्पाद को शुल्क तालिका में केवल संकेतात्मक के रूप में वर्गीकृत करने के दावे को नोट करते हैं। पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण जारी रखने की सुस्थापित जरूरत के मद्देनजर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप शुल्क का नियत स्वरूप उपयुक्त होगा।

ठ. निष्कर्ष

107. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान कराई गई सूचनाओं तथा किए गए प्रस्तुतिकरणों और प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अथवा इस जांच परिणाम में अन्यथा रिकार्ड किए प्रस्तुतिकरणों के जरिए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा तथा संभावित पाटन एवं क्षति तथा सतत एवं निरंतर क्षति की संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(क) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का सतत पाटन बना हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

(ख) कीमत अधोरदन एवं अधोविक्रयण सकारात्मक है।

(ग) घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई है।

(घ) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन में वृद्धि होने की संभावना है।

ड. सिफारिशें

108. विधिक प्रावधानों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान कराई गई सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और ऊपर जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन की निरंतरता की एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की स्थिति तथा पाटन एवं क्षति की निरंतरता की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण किए जाने के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर आयात हो रहा है और पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। यह भी देखा जाता है कि भारत में, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के निर्यात की निरंतरता बनी हुई है और यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसकी निरंतरता की संभावना बनी रहेगी।

(ख) पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देशों से कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण बहुत अधिक है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सतत पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के प्रचालनात्मक निष्पादन में कमी होने की संभावना है।

(ग) पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखना अपेक्षित है।

109. ऊपर किए गए निष्कर्ष के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि अधोलिखित शुल्क तालिका में यथा-विनिर्दिष्ट पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जाना अपेक्षित है।

110. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तद्नुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा ग.2(9) में किए गए उल्लेख के अनुसार संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3926 90	केबज टाईज	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी	मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी	1.99	प्रति किग्रा	यूएस डालर
2	3926 90	केबज टाईज	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक ग्रुप इम्पीरियल प्लास्टिक्स कंपनी	मैसर्स चांगहांग प्लास्टिक्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड	1.99	प्रति किग्रा	यूएस डालर
3	3926 90	केबज टाईज	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	ऊपर क्रम सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य	ऊपर क्रम सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य	2.13	प्रति किग्रा	यूएस डालर
4	3926 90	केबज टाईज	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	संबद्ध देशों के अलावा	कोई	कोई	2.13	प्रति किग्रा	यूएस डालर

क्र.सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
					कोई अन्य देश					
5	3926 90	केबज टाईज	कोई	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	2.13	प्रति किग्रा	यूएस डालर
6	3926 90	केबज टाईज	कोई	ताईवान	ताईवान	कोई	कोई	1.29	प्रति किग्रा	यूएस डालर
7	3926 90	केबज टाईज	कोई	ताईवान	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	1.29	प्रति किग्रा	यूएस डालर
8	3926 90	केबज टाईज	कोई	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	ताईवान	कोई	कोई	1.29	प्रति किग्रा	यूएस डालर

ढ. अगली प्रक्रिया

111. इस आदेश, केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात, के विरुद्ध सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील कर जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2014

Sunset Review

Subject: Sunset review of anti dumping duty imposed on imports of Cable Ties from China PR and Chinese Taipei- Final findings

F. No.15/20/2013-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas anti dumping investigation was originally initiated on 1st January, 2008 in respect of imports of Cable Ties (hereinafter referred as subject goods) originating in or exported from China PR and Chinese Taipei (hereinafter referred as subject countries). The provisional antidumping duty was imposed by the Central Govt. on imports of the product from the subject countries vide Customs notification no. 118/2008-CUS dated 31st October, 2008 on the basis of the preliminary findings of the Authority issued on 23rd September, 2008 vide Notification No14/10/2007-DGAD. The final findings was notified vide notification dated 31st March, 2009 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from above subject countries vide notification no. 44/2009-CUS dated 30th April, 2009.

2. And whereas in terms of the provisions for review investigations, the Authority received an application from M/s. Surelock Plastics Pvt. Ltd. Mumbai representing domestic industry which substantiated the need for midterm review of the anti dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from the subject countries and requested for enhancement/revision of the anti dumping duty imposed on subject goods.

3. And whereas, the Authority initiated a mid-term review (MTR) investigation in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Chinese Taipei, vide notification No. 15/10/2011-DGAD dated 4th October,

2011 and the Authority *vide* Notification No. 15/10/2011-DGAD dated 3rd October, 2012 recommended modified form of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. On the basis of the recommendations of the Authority, the Central Government vide Notification No. 56/2012 dated 14th December, 2012 imposed modified anti-dumping duty on imports from both the subject countries.

4. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/20/2013-DGAD dated 17th October, 2013 to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and Chinese Taipei, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended by the Central Government up to 30th October 2014 *vide* Notification No. 28/2013-Customs (ADD) dated 12th November 2013.

5. And whereas the scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

a) The authority issued a notice of initiation on 17th Oct., 2013, published in Part-I Section I of the Gazette of India Extraordinary. The authority placed a copy of the public notice on the website of Ministry of Commerce & Industry.

b) The Chinese Embassy and the Chinese Taipei Cultural Centre in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

c) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Chinese Embassy and the Chinese Taipei Cultural Centre in New Delhi in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

d) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known producers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

Name of Company	Country
Hua Wei Industrial Co. Ltd. (Giantlok)	China PR
(Yueqing) Gaulin (Huaxin) Electric Apparatus Factory	China PR
Power Industry Part Book Enterprise	China PR
Co- Talent n Limited (CTNL)	China PR
Kaygo Plastics Manufacturing Co. Ltd.	China PR
Zhejiang Giujing Meters Co. Ltd.	China PR
Yueging Qiligang Plastics Manufacturers Co.Ltd.	China PR
Yueqing Xinxing Cable Accessories Co., Ltd.	China PR
Wenzhou Yongji Electric Equipments	China PR
V.Y. Cables Accessories Co. Ltd.	Chinese Taipei
Kai Suh Suh Enterprise Co. Ltd.	Chinese Taipei
Giantlok, Taichung	Chinese Taipei
AVC, Kaoshiung City	Chinese Taipei

e) A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known producers/ exporters and the Chinese Embassy with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time. While for the purpose of initiation the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of para 7 and para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers.

f) M/s. Changhong Plastics Group Co. Ltd. (exporter) & M/s. Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd. (producer) of subject goods from China PR filed response to questionnaire in the form and manner prescribed. No other exporter from the subject countries has responded.

g) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

Name of Company
Krishna Electronics, Kolkatta
Anandi International , Kolkatta
Multi Impex, Chennai
P.S. Enterprise, Kolkatta
Sumati Chand Bothra, Kolkatta
Wire & Cable Corporation, New Delhi
Choudhary International, Delhi
B.B. Corporation, Chennai
Hirawat Marketing Services, Kolkatta
Jeetendra Kumar Modi, Kolkatta
Shah Enterprises, Mumbai
Krishna Commercial Corpn. Chennai
Pranav Electricals, Vadodara
Modi Industrial Interface, Bangalore

h) No response/submission has been submitted by any of the importers/users/ other interested parties.

i) A copy of the initiation notification was also sent to the following other known domestic producers of the subject goods:

Name of Company
Blackburn & Co. Pvt. Ltd., Kolkatta
Novaflex Mktg. Pvt. Ltd., Kolkatta
Flu-Con Enterprises, Mumbai

j) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was 1st April 2012 to 31st March 2013 (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011-March 2012 and the POI.

k) The domestic industry had relied upon the data from the secondary sources i.e. IMPEX to determine volume and value of imports of the product under consideration in India. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including the POI and also the post-POI. Information received from the DGCI&S was examined in detail and volume & value of imports was ascertained on the basis of DGCI&S records as well. Since during the POI, the volume of the imports of the subject goods from the subject countries as per IMPEX is found higher than that the volume of imports reported in the DGCI&S data, the Authority has relied upon the data from IMPEX source in the present investigation.

l) Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties .

m) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

n) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

o) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 30th July, 2014 which was attended by the following parties

- the domestic industry,
- the representative of Changhong Plastics (Chinese exporter and producer)
- the representative of Giantlok India (importer).

The interested parties presenting their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The representative of Giantlok India was also advised to provide information with regard to imports of the product under consideration in India made by them or exports made by Giantlok in the form and manner prescribed by the authority. No information was however provided by Giantlok.

p) The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority, have been addressed in this finding.

q) Verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.

r) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

s) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

t) ***in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

u) In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties vide disclosure statement dated 2nd October 2014 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this notification.

v) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.54.65 = 1 US$.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

7. The product involved in the original investigation, midterm review investigation and the present sunset review investigation is "Cable Ties". The scope of the product under consideration remains the same in the present review. As per the original investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under:

> *"The product under consideration in the present petition is Cable Ties. Cable Ties consists of sturdy nylon tape with an integrated gear rack and on one end a ratchet within a small open case. This is an economical and versatile method of Cable/Wire bunching systems. Cable Ties are known by several names e.g. non-releasable or releasable (reusable) tags, straps, zip ties, tie wrap, rat belt etc. and produced & sold in different sizes as per requirement of*

the customers. Cable Ties are a one piece moulded mechanism with no metal barbs or cumbersome wedges having fastening and self locking device. Once a non-releasable cable tie is pulled through, it prevents from being pulled back allowing tighter pulling only. Cable ties are generally single use devices. However reusable Cable Ties are also produced according to the demand of the customers."

C.1 Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

8. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like article.

C.2 Views of the Domestic Industry

9. The product under consideration is cable ties. Cable ties are generally viewed as single-use devices. However, if a closed loop needs to be opened again, then, rather than destroying the cable tie by cutting, it may be possible to release the ratchet from the rack to reuse the cable tie. While some cable ties are designed for reuse with a table that releases the ratchet, in most cases a sewing needle or similar object (for example a small screwdriver) will need to be interposed between the ratchet and the rack. The product under consideration has found significant use in departmental stores for fastening plastic bags. The cable ties are produced and sold in various length, width and thickness. These are known by several names. However, normally these are described as Non Releasable, Releasable (Reusable) Tag Type, Releasable (Reusable) Tag Type Double lock type etc. for more variety. Cable Ties are classified in Chapter 39 of the Customs Tariff Act under subheading 39269010 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

C.3 Examination by the Authority

10. The product under consideration in the present investigation is Cable Ties. Cable Ties consists of sturdy tape with an integrated gear rack and on one end a ratchet within a small open case. This is an economical and versatile method of Cable/Wire bunching systems. Cable Ties are known by several names e.g. non-releasable or releasable (reusable) tags, straps, zip ties, tie wrap, rat belt etc. and produced & sold in different sizes as per requirement of the customers. Cable Ties are a one piece moulded mechanism with no metal barbs or cumbersome wedges having fastening and self locking device. Once a non-releasable cable tie is pulled through, it prevents from being pulled back allowing tighter pulling only. Cable ties are generally single use devices. However, reusable Cable Ties are also produced according to the demand of the customers. The product under consideration in the present sunset review investigation is the same as has been held by the Designated Authority in the previous investigations.

11. Cable Ties are classified under chapter 39.26 of the Customs Tariff Act, 1975, under Subheading 3926.9010. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations.

12. The petitioner has claimed that there is no significant difference in the subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject countries and, therefore, are like article within the meaning of Rule 2(d) of AD Rules. It has been stated that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported ones from the subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both are technically and commercially substitutable and hold close resembling characteristics. It has been claimed that the consumers have used the two interchangeably.

13. The responding exporters have not made any submissions disputing the claim of the petitioner and previous determinations of the Designated Authority in this regard.

14. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that like article means an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

15. After due examination, the Authority holds that Cable Ties produced by domestic industry has same characteristics as those of Cable Ties imported from the subject countries. Investigation conducted by the Designated Authority has not shown any difference in the two products. In view of the same, the Authority holds that Cable Ties produced by the domestic industry is like article to Cable Ties being imported from the subject countries within the meaning of the rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

16. The petition was filed by M/s. Surelock Plastics Pvt. Ltd. There are three other known producers of cable ties in the country, M/s. Blackburn & Co. Pvt. Ltd., M/s. Novoflex Marketing and M/s. Flucon Enterprises. While, M/s. Blackburn & Co. Pvt. Ltd. is also producing the subject goods; petitioner has claimed that M/s. Novoflex Marketing and M/s. Flucon Enterprises have shut down production.

D.1 Views of Domestic Industry

17. M/s. Blackburn & Co. Pvt. Ltd. is the only other known producer of the subject goods in the country as M/s. Novoflex Marketing and M/s. Flucon Enterprises have shut down production. Further, the petitioner's production constitutes a major proportion in Indian production. Thus, the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Anti Dumping Rules.

D.2 Views of the Exporters, Importers, Consumers and Other Interested Parties

18. None of the importers, consumers, exporters or other interested parties has made any comment or submissions with regard to the standing of the petitioner and its consideration as domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

19. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

20. The review investigation has been initiated on the basis of a duly substantiated request submitted by M/s. Surelock Plastics Pvt. Ltd. Mumbai in terms of Rule 23 of the Rules. The petitioner stated that there are three other producers of subject goods in India, namely M/s. Blackburn & Co. Pvt. Ltd., M/s. Novoflex Marketing and M/s. Flucon Enterprises. Whereas M/s. Novoflex Marketing and M/s. Flucon Enterprises have shut down production as held in the previously concluded mid-term review investigation; M/s. Blackburn & Co. Pvt. Ltd. is the only other known producer of the product under consideration other than the petitioner.

21. No comments have been received from any interested party disputing the claim and status of the petitioner. The investigation has not shown that the petitioner does not satisfy the requirement of standing or the petitioner does not constitute domestic industry. The information available on records establishes that the production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production and no other domestic producer has provided relevant information despite opportunity having been provided to them. The Authority, therefore, holds that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the rules supra.

D.4 Other issues

22. With regard to the import data being presented in several units of measurements and as the conversion of the same is not clear; it is clarified that the majority of transactions in the investigation period were reported on weight basis for customs clearance and therefore no conversion into weight was required in these transactions. Moreover, the Authority notes that in the previously concluded mid-term review investigations majority of import transactions (nearly 90% by value) were reported on weight basis. Therefore, the Authority has adopted same methodology for assessment of volume and value of imports from all countries. Further, the responding exporter has invoiced the goods on weight basis and has provided information on weight basis.

23. During the course of the investigation, the data received from DGCI&S was examined and analyzed on value basis. It is noted that the value of imports reported by DGCIS is significantly lower as reported in IMPEX data.

24. The representative of the responding exporter has claimed that the present investigation has proceeded without any disclosure of availability of import data to the opposing interested parties. The exporters are aware that the Designated Authority has called for and relied upon transaction-wise DGCI&S data for imports. However, this information has not been made available in non-confidential form in the public file. Further, a country-wise yearly summary of quantity and value data can easily be made available without disclosing any confidential information.

25. It is clarified that the Designated Authority is not required to disclose the DGCI&S data procured on transaction by transaction basis by the Authority. It is noted that country-wise import information is provided in the petition by the petitioner. The authority calls information from several sources. Even responding exporter has provided information on volume and value of exports made by the company. The authority however does not disclose the volume and price of exports reported by the exporter. Rule 16 provides that the authority shall disclose essential facts under consideration before proceeding to record determination. This clearly implies that the authority is not required to disclose such information till the stage of disclosure of essential facts.

26. The representative of the responding exporter has claimed that initiation of Sunset Review is not compulsory. The petitioner

has argued that this issue has been well decided by the Hon'ble High Court in the matters of Indian Metals & Ferro Alloys vs. Designated Authority [2008 (224) ELT 375 (Del.)] and Kalyani Steels Ltd. v. Revenue Secretary, M.F. - 2008 (224) E.L.T. 47 (Del.). The Authority notes in this regard that in any case, there was a duly documented petition filed before the authority and the investigation was initiated based on such petition.

27. The domestic industry has argued that representatives of Giantlok had attended the oral hearing and the Authority specifically directed the representatives of the exporter to provide relevant information in the form and manner prescribed. However, no questionnaire response has been filed by the Giantlok, nor any other submissions have been made by them. It is indeed strange that Giantlok, despite being a producer of the product under consideration in China and Thailand and exporting the same in India in significant volumes, attended the oral hearing and has preferred not to provide any information to the Designated Authority. The authority notes that the exporter has not filed any questionnaire response, nor provided any other verifiable information. The authority has therefore treated all such companies as non cooperative companies for the present purposes.

E. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions by the domestic industry

28. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export and dumping margin:

i. None of the WTO Member countries have granted market economy status to Chinese producers on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub-paragraph 8(3). China is a non-market economy. None of the Chinese producers can satisfy market economy status.

ii. The producers and exporters in the subject country have continued to export the material at dumping price even after imposition of the anti-dumping duty. The volume of dumped imports and dumping margin are significant even with the anti -dumping duty.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

29. Following are the submissions made by the respondent producer and exporter:

i. M/s Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd. ('Imperial' -Producer; and – M/s Changhong Plastics Group Co. Ltd. ('CHS')-Exporter cooperated with the Designated Authority.

ii. Invoice value as reported by M/s Changhong Plastics Group Co. Ltd. ('CHS')-Exporter in Apendix-2 is as per actual invoice value, as reported to the Chinese Customs Authority. Therefore, the Authority is required to adopt the actual invoice value as reported by the exporter.

Examination by the Authority

30. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Anti-dumping Rules.

31. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

32. The Authority notes that the respondent Chinese companies in the present investigation have filed market economy treatment (MET) response and later on withdrawn the same vide their letter dated 25th September 2014. Therefore, the Authority does not grant MET status to any Chinese company in the present investigation.

F. Normal Value and Dumping Margin

F.1 Normal Value

33. Under section 9A(1)(c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

F.2 Views of Domestic Industry

34. The views of the domestic industry in this regard are as follows:

i. China should be treated as a non-market economy country. Normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 Annexure-I to the Rules.

ii. MET response of the responding exporter should be rejected. The non confidential version of questionnaire response is merely an empty formality. The response virtually keeps all the information confidential, thereby preventing the petitioner from making effective submissions and violating the principles of natural justice.

iii. M/s Changhong Plastic Co. Ltd. was established in the year 1989. Every company established in that time frame was under the Chinese Government's control. Therefore, the Authority is requested to reject the MET claim of the exporter on account of Government's intervention in the business of the Company. Further, merely changing the name does not imply that the Company has no more intervention from the Chinese Government.

iv. Petitioner has claimed normal value for Taiwan on the basis of cost of production in India, duly adjusted; as none of the exporters from Taiwan have responded to the current investigation and no other reliable information is available.

F.3 Views of Changhong Plastics

35. The views of the responding exporter in this regard are as follows:

i. The Exporters have already placed on record their export sales in the requisite format. It is an admitted fact that the exporter and producer are related entities. Therefore, in light of the producer-wise duties now being levied by the Hon'ble Designated Authority, it is requested that the exporter may be allocated their individual margins in conjunction with their respective trade channels. The exporter invited the Authority to verify their information through onsite verification.

F.4 Examination by the Authority

F.4.1 Examination of Market Economy claims in respect of Changhong Plastics Group Co. Ltd.

36. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in the anti-dumping investigations by India and other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the Annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules for the purposes of final finding.

37. The Authority notes that responding producers/exporters of the subject goods from China PR have submitted their questionnaire responses and response to market economy questionnaire consequent upon the initiation notice issued by the Authority and sought to rebut the non-market economy presumption. However, the exporter-producer withdrew their claim of market economy status vide letter dated 25th September 2014 and therefore the market economy status claim of the

exporter-producer was not examined further by the authority. The questionnaire response of the responding producer-exporter has been examined for determination of normal value of the responding producer of the subject goods from the subject country as follows.

F.4.2 Normal Value for CHS and Non-Cooperating Exporters in China PR

38. No other producer/exporter from China PR except CHS has responded to the Authority. Information on imports of the product under consideration reported in Indian customs data and exports from CHS shows that there were significant imports of the product under consideration during the POI. Evidently, subject goods have been exported by other exporters from China as well, who have preferred not to cooperate with the Authority. The Authority has constructed normal value for all the producers and exporters in China PR by adopting consumption norms for major raw materials and by taking international prices of the raw materials, and known estimates for conversion cost during the relevant period. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin has been added to the cost of production so determined so as to arrive at a constructive normal value. The same quantum of normal value, as has been determined for CHS has been adopted for other exporters from China PR as well. The constructed normal value so arrived is mentioned in the dumping margin table.

E.4.3 Normal Value in Chinese Taipei

39. The Authority notes that none of the producers/exporters from Chinese Taipei has filed any questionnaire response in the form and manner prescribed. As information about actual domestic sales price, information on exports to third country or cost of production in Chinese Taipei and other information as per the prescribed formats have not been furnished by any producer/exporter in that country; the Authority has relied upon the best available information for determination of normal value. The petitioner has claimed normal value in Chinese Taipei on the basis of estimates of cost of production. In the absence of any response from the exporters in the form and manner prescribed, the Authority has determined normal value in Chinese Taipei on the basis of estimates of cost of production in accordance with Section 9A(1)c read with Rule 6(8) supra. It is noted in this regard that there is no publicly available information with regard to price of the subject goods in the exporting country. The normal value has been constructed by adopting consumption norms for major raw materials and international prices of the raw materials, and known estimates for conversion cost during the relevant period. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin has been added to the cost of production so determined so as to arrive at a constructed normal value.

F.5 Export price

F.5.1 Export Price for Changhong Plastics (CHS)

40. Individual export price for Changhong Plastics in respect of product under consideration has been determined on the basis of questionnaire response filed by the exporter and as claimed by the responding producer & exporter, which was examined by the authority and has been accepted for the proposed determination. The export price is proposed to be determined as weighted average price of imports of the product under consideration exported to India directly by them to Indian importers during the relevant period, on the basis of invoice wise details of exports made by the company provided to the authority. It is noted that the information provided by the CHS contains sufficient information with regard to volume of exports expressed on weight basis. The export price has therefore been determined on the basis of average price per kg. of goods. Price adjustments have been claimed on account of expenses such as ocean freight, inland freight, insurance, port expenses, bank charges and VAT adjustment, etc. which have been examined and accepted. The export price to India has been determined after deducting all the adjustments claimed by the exporter and accepted by the Authority.

F.5.2 Export Price For Non-Cooperating Exporters In China PR

41. The Authority notes that IMPEX information shows imports of 492 MT of Cable Ties from China PR, whereas the volume of direct exports made by the responding exporter to Indian importers is *** MT. It is thus evident that significant exports have been made by other Chinese producers/ exporters as well. In view of non cooperation from the other Chinese exporters, the export price in respect of non cooperating exporters has been arrived at after reducing the quantum of imports from the cooperative exporter from total quantum of imports available from secondary source during the POI. After making adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, port expenses, bank charges and VAT adjustment, the ex-factory export price has been calculated and has been mentioned in the dumping margin table.

F.5.3 Export Price for Chinese Taipei

42. None of the producers/exporters of the product under consideration from Chinese Taipei have responded to the Designated Authority. In the absence of cooperation from the foreign producers/exporters, the export price from Taiwan has been determined on the basis of average import price reported in the Indian customs data. The Authority notes that the IMPEX information shows imports of **193 MT** of Cable Ties from Chinese Taipei in the POI, which has been considered as

CIF export price. After making adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, port expenses and bank charges on the basis of best available information in the absence of cooperation from the producers/exporters in Taiwan, the ex-factory export price has been calculated and is mentioned in the dumping margin table.

E.6 Dumping Margin

43. The dumping margin has been established on the basis of a comparison of weighted average normal value with weighted average export price. The dumping margin for exports of the subject goods from the subject countries is assessed as given in the table below:

Dumping Margin Calculation:

Country of Origin	Producer	Exporter	Normal value (US$/Kg)	Net Export Price (US$/Kg)	Dumping Margin (US$/Kg)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
China PR	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	***	***	***	***	35%-45%
China PR	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	Changhong Plastics Group Co. Ltd.					
China PR	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	Any		***	***	***	40%-50%
China PR	Others	Any					
Chinese Taipei	Any	Any	***	***	***	***	15%-25%

G. INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Views of the domestic industry

44. The domestic industry has made the following submissions:

a. Product under consideration continues to be exported to India at dumped prices from the subject countries.

b. Domestic industry has suffered continued injury in spite of existing ADD.

c. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.

d. There is definite likelihood of continued/ increased injury in case existing ADD is revoked.

e. The anti dumping duty is required to be continued at the same level or enhanced.

f. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has shown some improvement in 2011-12 and the POI.

g. Profit/loss has shown deterioration over the injury period to the extent that losses were suffered in 2011-12 and the POI. Profit before interest & taxes, cash profits, return on investments have all shown a similar trend.

h. Imports from the subject countries have been undercutting the prices of the domestic industry in the market to a significant degree, as a result of which the domestic industry has been suffering price suppression.

i. Price undercutting leading to price suppression has resulted in significant drop in profits, return on investment and cash flow.

j. In spite of increase in demand, the capacity of the domestic industry remained under-utilized.

k. The landed prices of imports from the subject countries even after addition of anti dumping duty have remained significantly below the selling price of the domestic industry. Thus, the remedial effect of imposition of anti dumping duties on imports from the subject countries has been undermined.

l. Inventory level with the domestic industry increased in 2011-12 with a significant increase during the period of investigation.

m. Considering the huge production capacities of the subject goods in the subject countries and their export orientation and the increasing demand for the subject goods in India, in all likelihood, review and enhancement in the quantum of anti dumping duty is necessary.

n. In case of cessation of the present anti dumping duty, dumping from subject countries would definitely increase and ultimately cause intensified volume and price injury to the Domestic Industry.

o. Various parameters relating to domestic industry collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury.

G.2.1 <u>Cumulative assessment</u>

45. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

(a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;

(b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

46. The Authority observes that:-

(a) The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;

(b) The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

(c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted in this regard that present review is a sunset review and the Authority had earlier assessed injury to the domestic industry cumulatively.

47. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to suppress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

48. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

49. The present investigation is a sunset review of anti dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutates mutandis basis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to

the domestic industry considering, mutates mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the fact of existing anti dumping duties on imports of the product from China and Taiwan is required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined the sufficiency aspect of the existing measure to counteract dumping causing injury.

50. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

51. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Surelock Plastics Ltd., constituting domestic industry under the Rules.

52. The Authority has considered the views of the interested parties and addressed the same appropriately. The Authority has analyzed injury parameters in accordance with the rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been treated confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows.

G.2.2 <u>Assessment of demand and market share</u>

53. The authority notes that the imports reported in DGCI&S for the customs classification are much lower than the imports reported in Impex (on import value basis) and therefore, Impex data has been adopted for the present purpose. The Authority notes that the prescribed unit of measurement for the product is weight. The definitive anti-dumping duty imposed in the recently concluded mid-term review is also on the basis of weight. It is, however, seen that the transaction-wise imports during the injury period are being reported in a large number of units of measurements (as in bags, packets, etc). However, imports were reported on weight basis in majority of transactions (70% imports, by value, from subject countries have been reported on weight basis). For the purpose of present investigation the domestic industry has assessed weight of imports in those transactions where the imports have not been reported on weight basis. Further, all those transactions where the import price is aberrationally high or low have been excluded. The domestic industry determined average price for the country considering those import transactions where the imports have been reported on weight basis. This average price has been considered as benchmark for those transactions where the imports have not been reported on weight basis. Weight of import in these transactions has been determined on the basis of average import price for the transactions reported on weight basis. The authority notes that the methodology adopted by the petitioner is appropriate and has not been disputed by other interested parties. The authority has considered the import volumes reported by the petitioner for the present purposes.

54. The Designated Authority has determined demand as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources on the basis discussed in the para above. The demand so assessed is shown in the following table. It is seen that demand of the product in the country has increased over the injury period. Though there was a decline in demand in 2011-12, the demand in the POI (2012-13) has increased both from the base year (2009-10) as well as previous year (2011-12).

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Demand	MT	1191	1340	1257	1393
Trend	*Index*	*100*	*112*	*106*	*117*
China PR	MT	485	649	517	492
Chinese Taipei	MT	372	428	283	193
Imports from Subject countries	MT	857	1,077	800	685
Imports from other countries	MT	19	30	146	355

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Sales of Domestic industry	MT	265	183	190	223
Sales of other Indian Producers	MT	50	50	121	130
Market Share					
China PR	%	41	48	41	35
Chinese Taipei	%	31	32	22	14
Subject imports	%	72	80	64	49
Other imports	%	2	2	12	25
Domestic industry	%	22	14	15	16
Other Indian Producers	%	4	4	10	9

55. The Authority notes that th imports from the subject countries have declined after the revision of anti-dumping duty in the POI. It is also noted that the market share of the domestic industry has also declined over the injury period. Imports of the product under consideration from the subject countries increased in relation to consumption inIndia till 2010-11, and then declined thereafter during 2011-12 and in the POI. It is further noted that market share of imports from other countries and that of the other Indian producer has increased.

G.2.3 Volume effect of Dumped Imports

56. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti-dumping rules provides as under :

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase inthe dumped imports either in absolute terms or relative inproduction or xonsumption in India."

Imports of the product under consideration were as follows over the injury period –

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
China PR	MT	485	649	517	492
Chinese Taipei	MT	372	428	283	193
Imports from Subject countries	MT	857	1,077	800	685
Other Countries	MT	19	30	146	355
Total Imports	MT	876	1,107	946	1,040
Imports from Subject countries in relation to					
Total Imports	%	98%	97%	85%	66%
Consumption in India	%	72%	80%	64%	49%
Production of domestic industry	%	311%	456%	298%	286%

57. It is noted that imports of the product from the subject countries increased till 2010-11 and declined in absolute terms thereafter after initiation of midterm review. However, imports from subject countries have remained significant in relation to total imports, consumption in India and Indian production. In fact, imports from subject countries continue to command the majority share in Indian consumption of the product under consideration. It is also noted that the volume of imports is quite significant in relation to production of the domestic industry.

G.2.4 <u>Price Effect</u>

58. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated

Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. A comparison for product concerned was made between the landed value of exported product and the average selling price of the domestic industry. Selling price of the domestic industry has been determined net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

G.2.4.1 Price undercutting and Price Underselling

60. The price undercutting margin is determined as below

Price Undercutting	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Net Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Subject countries					
Landed Value (without ADD)	Rs./Kg	***	***	***	***
Landed Value with ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD)	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting with ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD)	%	***	***	***	***
Price Undercutting with ADD	%	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD) range	%	25-35%	30-40%	25-35%	25-35%
Price Undercutting with ADD range	%	20-30%	25-35%	25-35%	15-25%
China					
Landed Value (without ADD)	Rs./Kg	***	***	***	***
Landed Value with ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD)	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD)	%	***	***	***	***
Price Undercutting ADD	%	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD) range	%	25-35%	30-40%	25-35%	25-35%
Price Undercutting with ADD range	%	20-30%	25-35%	25-35%	20-30%
Chinese Taipei					
Landed Value (without ADD)	Rs./Kg	***	***	***	***
Landed Value with ADD	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD)	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting ADD	Rs./Kg	***	***	***	***

Price Undercutting	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Price Undercutting (without ADD)	%	***	***	***	***
Price Undercutting ADD	%	***	***	***	***
Price Undercutting (without ADD) range	%	20-30%	25-35%	25-35%	20-30%
Price Undercutting with ADD range	%	20-30%	25-35%	25-35%	10-20%

61. In this regard, Authority notes as under:

a. The landed value of imports from the subject countries as well as net selling price of the domestic industry increased over the injury period. However, the landed value of imports from both the subject countries was significantly below the net selling price of the domestic industry. Thus, the imports of subject goods from subject countries continue to cause price undercutting to the domestic industry.

b. The Anti-dumping duties on the subject goods from the subject countries were imposed by the Central Government with effect from 31st October, 2008 as reference price. Even after the anti dumping duty was modified to fixed form with effect from 14th December 2012, the price undercutting from the subject countries has remained significant.

c. A comparison made between the landed price of imports and non-injurious price shows that landed price of imports from the subject countries is far lower than the cost of production and non-injurious price in the POI.

Price Undercutting	UOM	POI
Non injurious price	Rs./Kg	***
Landed Price of imports		
China	Rs./Kg	***
Taiwan	Rs./Kg	***
Price underselling amount		
China	Rs./Kg	***
Taiwan	Rs./Kg	***
Price underselling %		
China	%	***
Taiwan	%	***
Price underselling % Range)		
China	%	20-30%
Taiwan	%	15-25%

G.2.4.2 <u>Price suppression and depression</u>

62. The cost and price movement of the domestic industry and the landed value of imports from the subject countries have been compared over the injury period to examine whether the effect of dumped imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	138	138
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	109	123

63. The Authority notes that the selling price of the subject goods produced by the domestic industry has increased by 23% during the injury period, cost of sales of the domestic industry increased by 38%. It is thus noted that whereas the cost of sales increased significantly during the POI as compared to the previous years; the selling price did not increase in the same proportion, thus leading to price suppression. It is seen from the tables above that though the landed price of imports, cost and selling price all increased over the injury period; the increase in landed price of imports from the subject countries and selling price was lower than the increase in the cost of sales.

G.2.5 Economic Parameters Relating to the Domestic Industry

64. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. However, the present investigations being a sunset review investigations, injury to the domestic industry is required to be assessed on mutates mutandis basis. Further, the Authority has examined whether existing measure has been sufficient to counteract the dumping which is causing injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) **Production, Capacity and Capacity Utilization, Sales**

65. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Equivalent Production	MT	***	***	***	***
Production PUC	MT	***	***	***	***
Plant capacity utilization	%	52	47	53	44
Domestic sales (PUC)	MT	***	***	***	***

66. It is noted that there is no change in the capacity of the domestic industry in the entire injury period. The production of the domestic industry for various products produced in the same plant declined in 2010-11, improved in 2011-12 and then declined in the POI. However, as compared to the base year, production and sales have declined in the POI. Even though the domestic industry has been able to increase sales volume to some extent in the POI as compared to previous year, the same is still far below the sales volumes registered in 2009-10. Capacity has remained under utilized to the extent of nearly 50% over the injury period. During examination and verification of the submissions made by the domestic industry, the Authority noted that the capacity of the domestic industry includes the capacities for manufacture of goods other than the PUC. In view of the same, the plant capacity utilization has been considered. It is noted that the plant utilization has declined in the POI.

b) **Profits, return on investment and cash flow**

67. Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as under:

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	112	138	138
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	108	109	123
Profit/loss	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	73	-129	-3
Profit/loss	Rs. Lakh	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	51	-93	-3
Profit before interest & tax	Rs. Lakh	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	65	-29	64
Return on Investment	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	78	-28	43

68. The Authority notes that both cost of production and selling price increased over the period. However, in view of inability of the domestic industry to increase its selling price in proportion to increase in cost of production, profitability of the domestic industry declined steeply from 2009-10 to 2011-12. However, consequent to midterm review investigations, whereas the cost of production remained in similar region between 2011-12 and POI, the selling price increased further, thus resulting in reduction in losses. However, domestic industry continued to suffer losses in POI. It is also noted that the domestic industry was in profits at the time of original investigations, which declined over the injury period. It is further noted that the domestic industry suffered financial losses during the injury period of midterm review also.

c) **Demand and market share**

69. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined as below:

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Domestic industry	%	22.25	13.66	15.39	15.95
Other Indian Producers	%	4.20	3.73	9.79	9.29
Subject imports	%	71.97	80.39	64.71	49.42
Other imports	%	1.58	2.22	10.11	25.34
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

70. It is noted that market share of domestic industry has declined significantly despite imposition of anti dumping duty. It is noted that the market share of the subject countries also declined and market share of other countries increased. The domestic industry contended that imports from third countries are largely from Thailand, where the exports are being made by M/s. Giantlok, who has manufacturing operations in China and Thailand. The authority notes that the domestic industry has made this claim at the time of hearing, which was attended on behalf of Giantlok. Giantlok however has preferred not to respond to the Designated Authority in the form and manner prescribed nor refuted the claim of the domestic industry.

d) **Inventories**

71. The Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	78	167	260

72. It is noted that the inventory levels of the domestic industry declined in 2010-11 and then increased in 2011-12 and the POI. The increase in inventories in POI is quite significant.

e) **Employment and wages**

73. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Period	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	*%*	*100*	*91*	*145*	*159*
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***
Trend	*%*	100	85	129	141

74. The Authority notes that both employment level with the domestic industry and wages declined in 2010-11 and then increased in 2011-12 and the POI.

f) **Productivity**

75. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Productivity	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	*%*	100	94	67	55
Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	*%*	100	86	97	87

76. The Authority notes from the table above that productivity has declined over the injury period in tandem with the decline in production.

g) **Factors affecting domestic prices**

77. Consideration of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from subject countries is below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. It is further noted that imports of subject goods from other countries are at much higher prices. There is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the subject goods was showing significant increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the major factors responsible for the domestic industry prices is the landed prices of the subject goods from subject countries and the cost of production of the domestic industry.

h) **Magnitude of Dumping Margin**

78. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject countries is positive and substantial.

i) **Growth**

79. On examination of various economic parameters of the domestic industry, the Authority notes that on a year by year basis whereas production has shown negative trend in the POI, domestic sales has shown improvement. On the price parameters, the growth is negative till 2011-12 and thereafter there is improvement in the POI.

Growth % (Year by Year)	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production Volume	%	-	-14%	14%	-11%
Domestic Sales Volume	%	-	-31%	4%	17%
Profit/Loss	%	-	-49%	-283%	-97%
Return on Capital Employed	%	-	-22%	-136%	51%

j) **Ability to raise capital**

80. It is noted that should the dumping from the present sources persist, ability of the domestic industry to raise capital would suffer.

G.3 Conclusion on injury

81. The authority notes that imports have continued in significant volumes in absolute terms and in relation to production and consumption in India even after imposition of anti dumping duty. Landed prices of imports are significantly below selling price of the domestic industry in the market resulting in significant price undercutting. Imports of the product under consideration at prices below selling price of domestic industry have resulted in significant suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market. Performance of the domestic industry deteriorated in respect of production, domestic sales, capacity utilization, profits, cash flows, return on investment and market share. It is thus proposed to be concluded that the domestic industry has suffered continued injury.

G.4 Causal Link

82. As per the AD Rules, the Designated Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry. It was examined whether these other parameters listed under the Rules could have contributed to injury to the domestic industry.

a) **Imports from other countries and other Known Factors**

83. During the POI, nearly 66% imports were from the subject countries of present investigation. Imports from third countries were negligible except Thailand. Imports from Thailand appear to be at dumped prices and the petitioner has filed a petition seeking imposition of anti dumping duty on imports from Thailand. The present investigation being a sunset review investigation, no new country can be included in the purview of the present investigation. Further, the petition for imposition of anti dumping duty on imports from Thailand is under consideration of the Authority. It is also noted that the petitioner has claimed and the Chinese producers/exporters have not refuted that the goods being imported from Thailand are largely goods produced by Giantlok, who has manufacturing facilities both in Thailand and China. Petitioner further contended that there is a significant possibility that the goods being imported from Thailand are in fact goods produced in China (which are being reported as goods originating in Thailand in view of anti dumping duty imposed on imports from China). Imports from all other countries could not have caused injury to the domestic industry.

b) **Contraction in demand**

84. The data shows that demand for the product under consideration has increased over the injury period. Possible decline in demand cannot be considered as a factor that could have impacted the performance of the domestic industry.

c) **Change in pattern of consumption**

85. No significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the Authority, nor has any interested party made any submission in this regard.

d) **Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers**

86. The subject goods are freely importable. No trade restrictive practices in the domestic market have been brought to the

knowledge of the Authority. The domestic producers compete with each other and at the same time with the subject goods. The price of the domestic industry is influenced by the landed price of subject goods.

e) **Development of technology**

87. The investigation has not shown any significant development in technology which could have caused injury to the domestic industry.

f) **Exports by the domestic industry**

88. The exports of the domestic industry are insignificant. In fact, there have been no export sales in 2011-12 and the POI. Therefore, exports could not have affected the overall performance of the domestic industry.

g) **Productivity**

89. The Authority notes that productivity of the domestic industry has declined in tandem with the production of the domestic industry. However, changes in the productivity have not been so significant as to have resulted in any significant changes in the profitability of the domestic industry. Changes in the productivity of the domestic industry could not be a cause of injury to the domestic industry.

G.4.1 PARAMETERS ESTABLISHING CAUSAL LINK

90. The Authority notes that while listed known other factors do not show that injury to the domestic industry has been caused by these factors, following parameters show that continued injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

a) The landed prices of imports were lower than the selling price of the domestic industry. As a result of price undercutting, the consumers have resorted to imports, thus leading to continued and significant volume of imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

b) The positive price undercutting is resulting in continued imports in significant volumes. Resultantly, the domestic industry is prevented from increasing its production, sales, capacity utilization and market share. In fact, production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry shows decline despite imposition of anti dumping duty and significant underutilized capacities with the domestic industry.

c) Since price undercutting has resulted in significant decline in profitability of the domestic industry to such an extent that even when the domestic industry was earning profits at the time of original investigations and midterm review investigations, the domestic industry is now suffering financial losses.

d) The anti dumping duty that was imposed originally was modified to fixed form. However, domestic industry has claimed that this has been quite insignificant .

91. The Authority proposes to conclude that the subject dumped imports have caused continued injury to the domestic industry within the meaning of the rules.

H. Likelihood of continuation of dumping and injury

H.1 Views of the Domestic industry

92. The domestic industry has submitted that dumping & consequent injury to the domestic industry is likely in the event of revocation of the anti dumping duty:

a) It has been submitted that the present and potential difference in the prices of imported product from the subject countries and domestic like product is very significant and is therefore likely to increase demand for imports in the event of revocation of anti dumping duty;

b) Significant price difference and consequent potential increase in imports is having significant suppressing effect on domestic prices;

c) Exporters in the subject countries are holding significant freely disposable capacity indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

d) Significant increase in volume of imports between original and current investigations itself clearly establishes likelihood of continued dumping and consequent injury to the domestic industry.

e) The high market share held by the subject countries in the Indian market clearly establishes likelihood of continuation of dumping.

f) Export orientation of producers and exporters in subject countries is quite high, which shows that the exporters are likely to continue to export at dumping prices.

H.2 Views of M/s. Changhong Plastics

93. It has been submitted by Changhong Plastics Group Imperial Plastics Ltd. that they do not have any plan to add, expand, curtail or shut down production capacity and/or production of PUC. They have further submitted that there is no change in production technology.

H.3 Examination by the Authority

94. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR and Chinese Taipei. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of antidumping duty is likely to lead to dumping and injury to the domestic industry. In the present investigation, there are continued dumped imports, and the information on record shows that cessation of anti dumping duty is likely to lead to continued dumping of the product. The dumping margin in the original, mid-term review and the present investigation is significant and that there are favorable market conditions in the Indian market for the subject exporters as far as demand and price for the subject goods are concerned. The dumping is likely to intensify if the duty is allowed to cease. Despite anti-dumping measures in force, the subject countries exporters still exported the product at dumped price in the Indian market. The following analysis shows the likelihood of continuation/ intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

(i) **Level of current and past dumping margin**

95. The level of dumping margin in the original, mid-term review and present investigation is significant. Given the level of price undercutting and price underselling without the anti-dumping duty and price suppression and considering the capacity in China and demand in India, the volume of dumped import is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

(ii) **Price attractiveness of Indian market**

96. The price at which the subject goods are being exported by subject exporters is an indicator of the likelihood of continuation/ intensification of dumping. At the current landed price in India, there is significant positive price undercutting. Thus, with the cessation of anti dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the foreign producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from the subject countries.

(iii) **Export orientation of producers in the subject countries**

97. The information on record shows that the foreign producers/exporters are export oriented. Considering significant demand and favorable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of these producers, the Authority holds that in the event of cessation of anti dumping duties, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.

(iv) **Huge Production Capacity in the subject countries**

98. As per the information furnished by the domestic industry, there are a number of producers of the subject goods in the subject countries. In the event of cessation of anti-dumping duty and considering the export orientation, the producers in the subject countries are capable of completely overtaking the Indian manufacturing sector engaged in subject goods.

(v) Significant increase in volume of imports between original period and subsequent periods

99. An analysis of the volume of imports reported in the previous cases as well as in the current period shows that volume of imports in case of subject countries have remained significant despite existing anti dumping duties. When the imports from the subject countries remained significant even in presence of anti dumping duty, there are all the probabilities that the volume would at the least increase in the event of cessation of anti dumping duty. There is no reason to believe that the volume will decline in the event of cessation of anti dumping duty.

(vi) Market Share held by the subject countries in the Indian market

100. The market share of imports from the subject countries is quite significant in spite of the existing anti dumping duties. In the event of cessation of anti dumping duty, the volumes are likely to surge.

101. On the basis of the above analysis, the Authority proposes to hold that cessation of duty is likely to lead to continued dumping of the product.

I. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

102. The Non-injurious Price for the subject goods has been compared with the landed value of the exports of subject goods from both the subject countries for determination of injury margin. The injury margin has been worked out as under:

Country of Origin	Producer	Exporter	NIP (US$/Kg)	Landed Value (US$/Kg)	Injury Margin (US$/Kg)	Injury Margin (%)	Injury Margin (%) Range
China PR	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	***	***	***	***%	20%-30%
China PR	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	Changhong Plastics Group Co. Ltd.					
China PR	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	Any		***	***	***%	25%-35%
China PR	Others	Any					
Chinese Taipei	Any	Any	***	***	***	***%	15%-25%

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

103. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

K. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

104.Post disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

a. The product under consideration in the present petition is Cable Ties. Since the product under consideration is produced and sold by various names, the Designated Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of alternate names used by the importers. Further, since the product under consideration does not have dedicated customs code, the authority may kindly specify in duty table that the customs classification is indicative only.

b. The information on record clearly establishes that the production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production.

c. Changhong Plastics have withdrawn their MET claims and, therefore, Designated Authority is fully justified in proceeding with the best available information.

d. There is continued dumping of the product under consideration from the subject countries. This is clearly established by the quantum of dumping margin assessed by the DA.

e. The landed price of imports from both the subject countries is undercutting the domestic selling price. Further, the domestic industry is suffering price suppression.

f. The import price of the subject goods from the subject countries is significantly below the non-injurious price showing significantly positive injury margin.

g. Price suppression indicates likely adverse price effect of dumped imports on domestic industry in the event of expiry of the anti dumping duty in force.

h. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries, should the current anti dumping duty be removed.

i. Existence of significant price undercutting in the event of expiry of anti dumping duty is likely to result in consumers switching over to the imported material.

j. The anti dumping duty in force has been effective to a limited extent so far in keeping a check on the volume of imports from the subject countries in the current period, in view of the fact that the product was suffering benchmark form of duty and the same has been modified to fixed quantum very recently.

k. There are sufficient reasons to believe that the volume would definitely surge in the event of cessation of anti dumping duties; given the fact that the producers in the subject countries are holding sufficient capacities and are highly export oriented.

l. In the event of cessation of anti dumping duty, the domestic industry would be forced to reduce the prices. Its natural impact would be on the profitability of the domestic industry. Decline in profits would lead to decline in cash flow and return on investment. If the domestic industry chooses to maintain its normal price levels, it is likely to lose its sales volume as consumers would increasingly switch over to the imports.

m. Duty may be recommended on fixed amount basis in US$ term.

n. Post disclosure Statement submissions by the cooperating exporters

105. The sole responding exporter, M/s. Changhong Plastics has advanced following arguments -

a. The Authority may demonstrate how it has called for and obtained production and sales data for Blackburn as the only producer of the product under consideration in India.

b. The present disclosure does not appear to fulfill the obligations set out in Rule 16 since the DGCI&S import data as well as Impex import data has not been made available with the disclosure statement. Not even a complete country-wise annual summary of the data has been provided with the disclosure statement. The same may be made available and the exporter be given an opportunity to comment on the same.

c. The exporters may be allocated their individual margins in conjunction with their respective trade channels as their export sales data is already placed on record of the Authority.

d. The Authority should disclose the normal value figure, so that the exporter can verify their dumping margin calculation.

e. It appears inequitable for the non-cooperating producers to receive the same margin of dumping and injury as compared to the cooperating exporters. The export price calculation for "all others" rate from China PR should be based on the methodology followed in the MTR investigations, i.e., lower representative price reported by the responding exporter from China PR.

f. The dumping and injury margins calculated for Taiwan appear to be lower than that of the cooperating exporter from China PR, considering that not even a single exporter from Taiwan has cooperated in the present and even previous investigations for the product.

g. The dumping and injury margins appear to be calculated in a discriminatory manner as the Authority has not verified data regarding the prices and channels of trade involved.

h. The exact margin per unit may be made available to the exporters.

i. The decline in market share of domestic industry is not related to the market share of subject imports. It is attributable to the increasing shares of the other domestic producers and imports from Thailand.

j. The imports from Thailand continue to remain a breach in causal link until and unless the domestic industry specifically files an application for investigation on imports from Thailand.

k. In cumulation, subject country imports have decreased over the injury period.

l. The domestic sales of the domestic industry have increased from 2010-11 to POI.

m. The other products produced in the plant have had an increasing share. Therefore, decline in production of product under consideration cannot be attributed to the subject imports.

n. There is an inherent cost or inefficiency in the domestic industry which is causing it material injury, as the other domestic producer has been able to double its market share.

o. While the petitioner may have filed an alternate petition requesting duties on imports from Thailand, the DA is still obligated to demonstrate how injury suffered on account of these imports has been segregated so as to not attribute the same to the subject imports.

p. The Authority has neither acknowledged nor addressed the averments made by the exporters with respect to claim of the petitioner on likelihood. The analysis of the petitioner with regard to volume of exports over the years from the subject countries is skewed and presented out of context. Secondly, mere existence of a positive finding in the MTR and significant market share being held by the subject countries does not imply a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

q. The petitioner's claim of freely disposable present and potential capacities with foreign producers and their export orientation is baseless.

r. If prices in India are so atrociously low, then the question that begs consideration is how India can be considered a price attractive market. It would make no commercial sense to sell in a market with lower prevailing prices as compared to foreign markets.

s. The exporters cannot adequately comment on the NIP calculation without a meaningful summary.

106. **Examination by the authority**

a. As regards the argument concerning production of M/s Blackburn and standing of the Domestic Industry, the authority notes that the petitioner had provided information with regard to production of M/s Blackburn on which none of the interested parties provided any evidence establishing that the claim of the domestic industry in this regard was incorrect.

b. As regards disclosure of import data provided by Impex the secondary source, the authority notes that Impex data was provided by the petitioner as part of its petition and the samealso included in the non confidential version of the petition. DGCI&S transaction wise data has been obtained by the authority; however authority has adopted Impex data in view of constraints regarding DGCI & S data as stated in the disclosure statement.

c. The responding exporters have claimed separate dumping margin for different trade channels. However the authority consistently evaluates dumping margin producer & exporter wise and not trade channel wise. Further there is no legal provision which requires the authority to determine separate dumping margin for each trade channel. In fact, different dumping margins for each sales channel would not be appropriate.

d. The responding exporters have requested for disclosure of normal value. Since the normal value is based on the confidential information of the domestic industry as the exporter has withdrawn the MET claim, the normal value so constructed cannot be disclosed.

e. As regards dumping margin for residual category in case of China, the authority considers that it would be appropriate to determine dumping margin for the non cooperative exporters from China on the basis of reasonable level of export price after duly accounting for exports reported by the cooperating exporters. In case of Taiwan, since none of the exporters have cooperated with the authority, the authority has determined export price on the basis of weighted average of the imports in India during the POI.

f. As regards the argument that the dumping margin for Changhong Plastics is not based on data provided by the company, it is clarified that the authority has determined export price for Changhong Plastics on the basis of information provided by the company.

g. It has been contended that the market share of the subject countries has declined and that of other countries has increased. It is however noted that the rules require the authority to consider whether margin of dumping is more than de-minimus, whether volume of imports is more than negligible and whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate. These conditions have been met in the present case and therefore it would be appropriate to do cumulative assessment of dumped imports from subject countries.

h. It has been contended by the responding exporter that the decline in market share of domestic industry is not related to the market share of subject imports and the same is attributable to the increasing shares of the other domestic producers and imports from Thailand. The authority has however not held that the market share of the domestic industry has declined because of imports from subject countries. Further, since the present investigation is a sunset review investigation, it is not necessary that the decline in market share of the domestic industry should be due to subject imports. Given significant price undercutting by the subject imports, the market share of the subject countries is likely to increase in the event of cessation of anti dumping duty. Further, the domestic industry has contended and no party has refuted that the goods are being exported from Thailand by Giantlok, a company related to the producer in China. Thus, the market share of imports from subject countries shows likelihood of injury to the domestic industry.

i. It has been contended that the other products produced in the plant have had an increasing share and the decline in production of product under consideration cannot be attributed to the subject imports. It is however noted that production of the product under consideration forms about 80% of total production and capacity utilization of the domestic industry was merely 51% during the POI and therefore production of other types of products could not have led to decline in production of the product under consideration.

j. It has been contended that the sales of the domestic industry have increased from 2010-11 to POI. It is however noted that despite imposition of anti dumping duty and rising demand, sales volumes of the domestic industry in POI were still materially lower than the sales volumes in 2009-10. Whereas demand for the product under consideration increased from 1191 MT in 2009-10 to 1393 MT in POI, sales of the domestic industry declined from 265 MT to 223 MT in the corresponding period.

k. It has been contended that there is an inherent cost or inefficiency in the domestic industry which is causing it material injury. It is however noted that the domestic industry is required to be seen as it exists. Further, the authority is required to examine injury to the domestic industry, as defined under Rule 2(b). The share of petitioner in Indian production constituted a major proportion and therefore the authority is required to examine injury to the defined domestic industry.

l. It has been contended that even if the petitioner has filed petition requesting duties on imports from Thailand, the authority is still obligated to demonstrate how injury suffered on account of these imports has been segregated so as to not attribute the same to the subject imports. The authority notes that under the Rules, the authority is required to segregate injury from undumped imports. The authority is not required to segregate injury from other dumped imports.

m. It has been contended that the information provided by the domestic industry does not establish likelihood. It has been contended that the analysis with regard to volume of exports over the years from the subject countries is skewed and presented out of context; mere existence of a positive finding in the MTR and significant market share being held by the subject countries does not imply a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury; the petitioner's claim of freely disposable present and potential capacities with foreign producers and their export orientation is baseless; if prices in India are so atrociously low, then India cannot be considered a price attractive market; it would make no commercial sense to sell in a market with lower prevailing prices as compared to foreign markets. The authority notes that submissions made by the domestic industry are supported with verifiable claims. Further, the exporters have not even provided mandatory information with regard to transaction wise details of their exports to various countries globally, as prescribed in Exporters Questionnaire Part-II. The fact that the present market share of the subject countries is significant and the price undercutting from subject countries is significantly high itself establishes that cessation of anti dumping duty is likely to lead to significant injury to the domestic industry. As regards price attractiveness, the authority notes that the price attractiveness is required to be seen in the light of prevailing prices in India and not from the import

price into India. The import prices are dumped prices and the imports are at present attracting anti dumping duty. Given that the prices prevailing in the Indian market are high, the exporters would naturally find Indian market lucrative for exporting large volumes of the product in the event of cessation of anti dumping duty.

n. The exporters have contended that they cannot adequately comment on the NIP calculation without a meaningful summary. The authority notes in this regard that methodology followed for NIP determination and meaningful summary therefore is contained in the disclosure statement. The authority further notes that the confidential information of the domestic industry cannot be disclosed in the light of Rule 7, as the domestic industry has claimed confidentiality on the same.

o. The authority notes the claim of the domestic industry regarding the form of duty and stating the classification of PUC as indicative only in the duty table as well. Keeping in view the established need to continue levy of antidumping duty, the authority notes that fixed form of duty would be appropriate in the facts and circumstances of the case.

L. CONCLUSIONS

107. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

a) There is continued dumping of the product concerned from the subject countries, causing injury to the domestic industry.

b) Price undercutting and underselling are positive.

c) The financial performance of the Domestic Industry has deteriorated.

d) Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries should the current anti-dumping duty be withdrawn.

M. RECOMMENDATIONS

108. Having regard to the legal provisions, contentions raised, information provided by interested parties, submissions made by interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury to domestic industry and likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority concludes that

a) The subject goods from subject countries are entering the Indian market at dumped prices and dumping margin is significant. It is also seen that the subject goods continue to be exported to India at dumped prices despite the existing anti dumping duties and there is a likelihood of its continuation should the existing antidumping duties be withdrawn.

b) The price undercutting and price underselling from subject countries, without the anti dumping duties, are significant. The Domestic Industry continues to suffer material injury on account of continued dumping of subject goods from subject countries during the period of investigation and there is likelihood of deterioration in the operating performance of domestic industry in the event of cessation of anti dumping duties.

c) The anti dumping duties are required to be continued.

109. Having concluded as above, the Authority is of the view that anti-dumping measure is required to be extended as specified in the duty table below.

110.Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below are recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

S. No.	Sub-Heading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	392690	Cable Ties	Any	People's Republic of China	People's Republic of China	M/s Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	M/s Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	1.99	Kg	US$
2	392690	Cable Ties	Any	People's Republic of China	People's Republic of China	M/s Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co. Ltd.	M/s Changhong Plastics Group Co. Ltd.	1.99	Kg	US$
3	392690	Cable Ties	Any	People's Republic of China	People's Republic of China	Any other than S. No 1 and 2 above	Any other than S. No 1 and 2 above	2.13	Kg	US$
4	392690	Cable Ties	Any	People's Republic of China	Any Country other than subject countries	Any	Any	2.13	Kg	US$
5	392690	Cable Ties	Any	Any Country other than subject countries	People's Republic of China	Any	Any	2.13	Kg	US$
6	392690	Cable Ties	Any	Taiwan	Taiwan	Any	Any	1.29	Kg	US$
7	392690	Cable Ties	Any	Taiwan	Any Country other than subject countries	Any	Any	1.29	Kg	US$
8	392690	Cable Ties	Any	Any Country other than subject countries	Taiwan	Any	Any	1.29	Kg	US$

Further Procedures

111. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

J K DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.